

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर

पत्रांक 753/141 दिनांक, कानपुर 23-08-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर

विषय:-

साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा सर्किट-1 पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-60/11-सी-FP/UP/TRANS/15538/2015, लखनऊ दिनांक 07.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में कानपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत उल्लिखित कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।	संशोधित प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-76 पर संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	पृष्ठ संख्या 70-71 पर संलग्न करके अपलोड कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग - 2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	पृष्ठ संख्या 41.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
4.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 41.2 पर संलग्न कर दिया गया है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न Geo Referenced Digital Map Geo Coordinate में संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 106 पर संलग्न कर दिया गया है।
6.	प्रस्ताव में संलग्न एन० पी० वी० की गणना में गणना गलत आगणित की गयी है, अतः सही गणना कर संशोधित एन० पी० वी० की गणना ऑनलाइन अपलोड करें तथा ककपजपवदंस पदवितउंजपवद कमजंपसेसे पूर्व का डिलीट करें।	संशोधित प्रस्ताव एन० पी० वी० की गणना कर प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-28 पर संलग्न है।
7.	प्रस्तावित वन भूमि के एन० पी० वी० में संशोधन के पश्चात	वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के

	बड़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 48.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
8.	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	स्थल चिन्हित कर दिया गया है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	संशोधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 69-69.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या - 1,2 एवं 68 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही विवरण अंकित करें।	संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
11.	प्रस्ताव में संलग्न हार्ड कॉपी भाग -2 में प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्रफल गलत अंकित है।	प्रस्ताव में अंकित वन प्रभाग कानपुर नगर की प्रस्तावित वन भूमि 0.3456 हे० सही अंकित है।
12.	ऑनलाइन भाग -2 एवं हार्डकॉपी भाग -2 के District Profile में विवरण भिन्न भिन्न अंकित है , अतः सही विवरण अंकित करें।	प्रस्ताव में District Profile का विवरण सही अंकित है।
13.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-68 पर संलग्न लीज रेंट प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
14.	तीन वैकल्पिक रुट्स Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-106 पर संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है।
15.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (प से अ तक) में अपलोड किये गए त्रुटिपूर्ण विवरण / अभिलेख को डिलीट करें।	डिलीट कर दिया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीया

(दिव्या)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

कानपुर

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(दिव्या)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर

पत्रांक 363 / 14-1 दिनांक, कानपुर, 2/8/2022

सेवा मे,

महाप्रबन्धक

साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0

लिवाना साइबर हाइट, प्रथम तल ऑफिस नं0 117-बी

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

विषय:- 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-वारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित हो रही 0.346 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय की पत्र संख्या 4244/14-1 दिनांक 23.05.2022, 4796/14-1 दिनांक 27.06.2022।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय का सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें। उक्त पत्रों से आपको अवगत कराया गया था कि आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा वर्तमान में कई शर्तों/प्रमाण पत्रों व विभिन्न देय धनराशियों की दरों में परिवर्तन/संशोधन हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव निम्न कमियाँ पायी गयी-

1. प्रस्तावित वन भूमि का डिजिटल जीओं रिफरेंस मैप की प्रति।
2. प्रस्तावित वन भूमि परियोजना क्षेत्रफल की गणना शीट (Area Calculation)।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
4. राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य द्वारा लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
5. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करने का प्रमाण पत्र।
6. लीज अवधि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
7. मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
8. कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र।
9. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के भुगतान सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
10. उ0प्र0 शासन वन अनुभाग-3 की पत्र सं0 7314/14-3-980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र।
11. Entire Tree Transplant (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
12. उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021-800(94)/2017 के क्रम में कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
13. प्रभावित वृक्षों की सूची।
14. परियोजना से लाभान्वित ग्रामों की सूची।
15. परियोजना स्थल के फोटोग्राफ।
16. सम्बन्धित विभागों से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
17. प्रस्तावित वन भूमि का के0एम0एल0 फाईल।
18. वैकल्पिक/न्यूनतम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
19. परियोजना से सम्बन्धित साइट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट।

अतः प्रसंगत प्रकरण में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरवर्णित कमियों का निराकरण कर वांछित अभिलेख/वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर संशोधित प्रस्ताव

D/genral/letter/April-2022



05 प्रतियों में यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण इस स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। प्रस्ताव की पॉच प्रतियाँ मूल में वापस की जा रही हैं।
संलग्नक- यथोपरि

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक / अ समदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव को बन्द/निरस्त किये जाने हेतु उच्च स्तर से पुनः अनुरोध करने की कृपा करें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर
पत्रांक 4203/141 दिनांक कानपुर 23-5-2022

सेवा में,

महाप्रबन्धक (ट्रांसमिशन)
साउथ ईस्ट उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन,
लेवाना साइबर हाईट्स प्रथम कार्यालय नम्बर 117-बी,
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र०

विषय:-

765 के०वी० एकल पथ मैनपुरी-बारा (सर्किट-2) पारेषण लाइन निर्माण हेतु एस०ई०यूपी० टी०सी०एल० को जनपद इलाहाबाद की 16.811 हे० आरक्षित एवं 0.4290 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन, जनपद फतेहपुर में 2.4192 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 213 वृक्ष, कानपुर नगर में 0.5120 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 74 वृक्ष, कानपुर देहात में 0.9120 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 70 वृक्ष, औरैया में 0.1024 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 20 वृक्ष तथा मैनपुरी में 1.4150 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 88 वृक्षों का पातन इस प्रकार परियोजना में कुल 16.811 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 5.7896 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 22.6006 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 499 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपकी पत्र संख्या SEUPPTCL/LKO/2022/027 दिनांक 09.05.2022।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि तत्समय प्रचलित दरों के अनुसार एन०पी०वी० की गणना की गई थी जिसे आप द्वारा जमा की गई थी। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज लखनऊ की पत्र संख्या 8B/UP/04/31/2016/ FC/80 दि० 06.05.2022 से संशोधित एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। उक्त के क्रम में वर्तमान में प्रचलित दरों के अनुसार प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि, प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं बाधक वृक्षों की पातन हेतु व्यय होने वाली छपान धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	पूर्व में प्रचलित दर के अनुसार अनुमानित धनराशि	वर्तमान समय में प्रचलित दर के अनुसार अनुमानित धनराशि	अन्तर (3-4)
1	2	3	4	5
1	प्रभावित होने वाली संरक्षित वनभूमि 0.5120 हे० का मूल्य (एन०पी०वी०)	411136.00	629038.00	217902.00
	योग	411136.00	629038.00	217902.00

कृपया कालम-5 में दर्शायी गई अवशेष धनराशि रु० 217902/- को तत्काल जमा कराकर चालान की प्रति शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अतः भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में यदि कोई अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है अथवा भविष्य में प्रस्ताव में संरक्षित वनभूमि के क्षेत्र में परिवर्तन, एन०पी०वी० व वृक्षारोपण की दरों में परिवर्तन होता है, तो तदनुसार धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

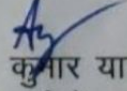
शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) धनराशि की गणना

समाजिक प्रभाग कानपुर के अन्तर्गत प्रस्तावित 765 के०वी० एकल पथ मैनपुरी-बारा (सर्किट-2) पारेषण लाइन निर्माण हेतु एस०ई०यू०पी०टी०सी०एल० में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, की पत्र संख्या 8B/UP/04/31/2016/FC/80 दिनांक 06.05.2022 से संशोधित दर के अनुसार गणना निम्न है-

1. प्रभावित संरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल- 0.5120 हे०
2. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व- 0.4
3. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का- Eco Class-3
4. प्रभावित आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य- **0.512X1228590**
= 629038.08 OR 629038.00

(रु० छः लाख उनतिस हजार अड़तिस मात्र)

भविष्य में यदि उक्त दरों में कोई परिवर्तन होता है, तो तदानुसार धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को देय होगी।


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर



TRANSMISSION CO. LTD.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1st Floor, Office No. 117-B
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

Ref: SEUPPTCL/LKO/2022/035

Date: 12/05/2022

Divisional Forest Officer
Kanpur Nagar,
Kanpur (U.P.)

Subject: 765 kV Mainpuri - Bara Transmission line CKT-2 Compliance report for Forest Proposal FP/UP/TRANS/15520/2015

Ref: 1- MoEF & CC letter no. 8B/U.P./04/31/2016/FC /80 dated 06/05/2022
2- SEUPPTCL letter no. SEUPPTCL/LKO/2022/027 date 09/05/2022

Dear Sir,

In reference to the above referred letters, and confirmation required from us, we would like to inform you that, **NO Violation of Forest Conservation Act** is done during construction of the subject mentioned line as well as the line maintenance since beginning.

Therefore, it is requested to kindly issue the necessary certificate for **No Violation of FCA** to proceed further.

Thanking You,

Yours Faithfully

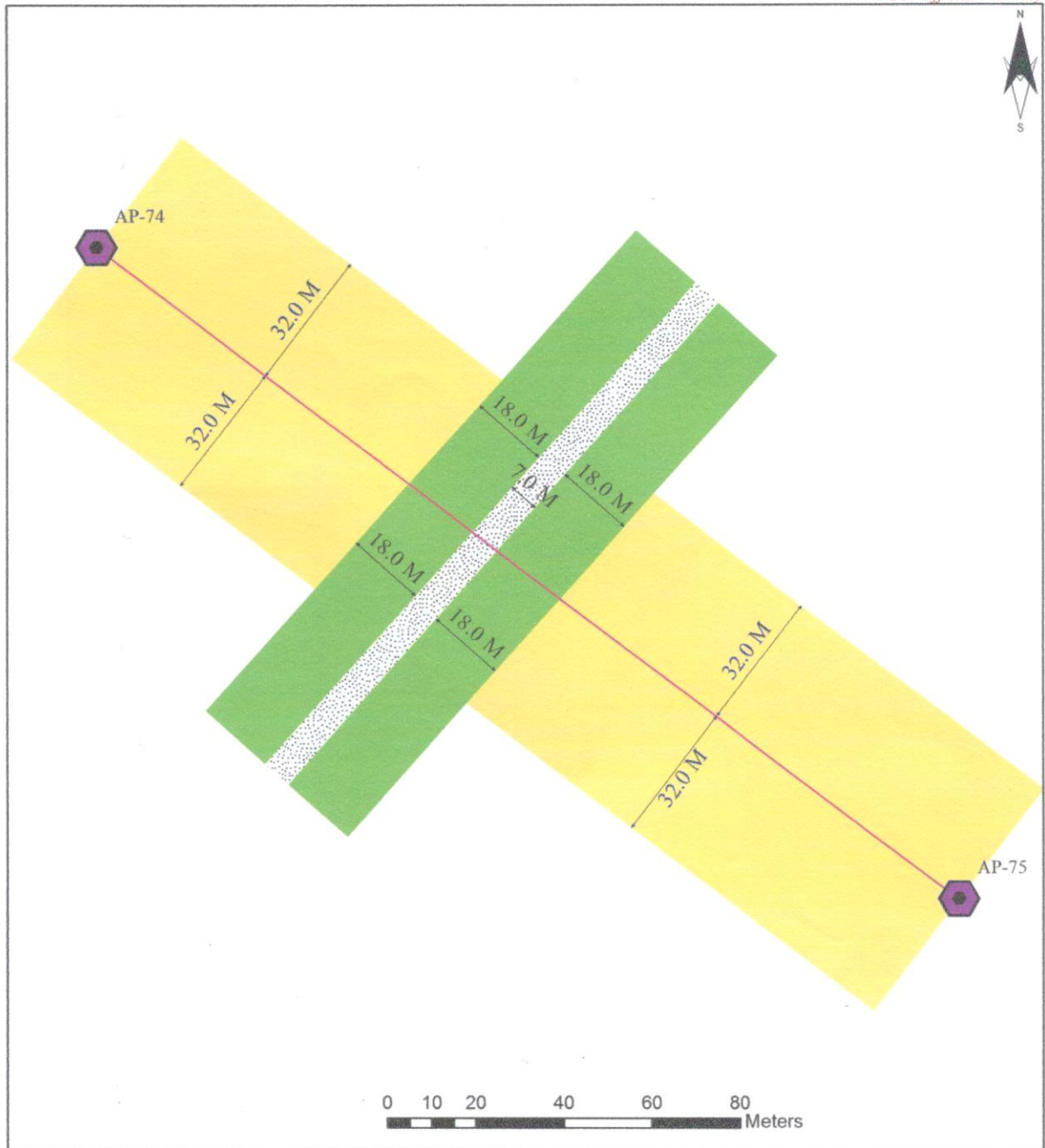
For South East U.P. Power Transmission Co. LTD.

SANJAI KUMAR SINGH
GENERAL MANAGER (TRANSMISSION)

f
xip
20/5/22
कार्यालय प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

SITE MAP OF PROPOSED 765 KV SINGLE LINE DIAGRAM OF NH-86 CROSSING PROPOSAL FOR PKG-2A, KANPUR NAGAR

For Official Use Only



Legend

-  Tower
-  Power line
-  Forest Strip Area
-  Road
-  Power Line Corridor

Prepared by



Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
(Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)
Sector-G, Jankipuram, Kursi Road
Lucknow-226 021

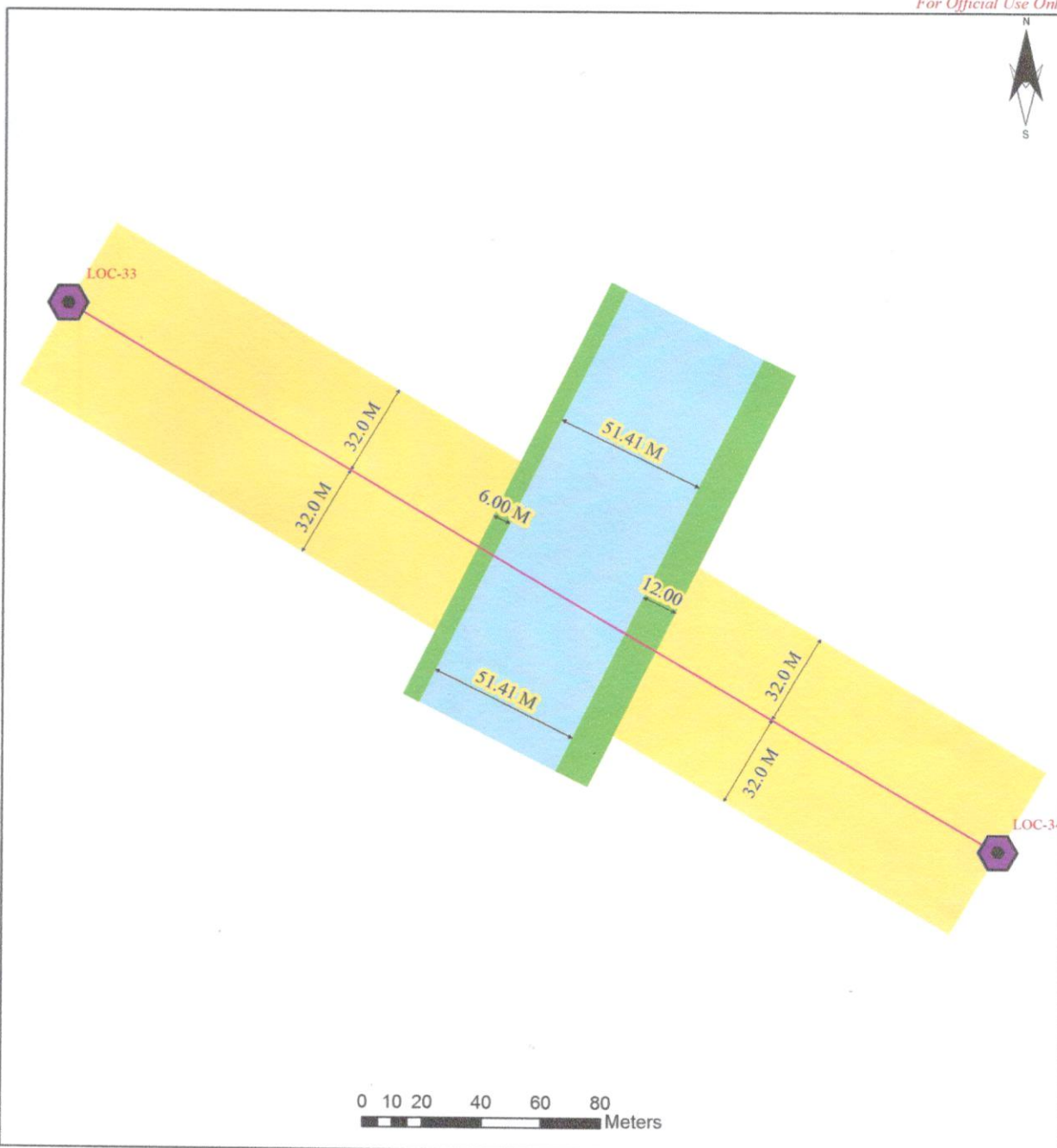
Note: Map based on GPS Coordinates and measurements given in the drawing provided by Divisional Director, Social Forestry Division, Kanpur Nagar.

C.S.
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SITE MAP OF PROPOSED 765 KV SINGLE LINE DIAGRAM OF LOWER GANGA CANAL CROSSING PROPOSAL FOR PKG-1B, KANPUR NAGAR

For Official Use Only



Legend

- Tower
- Power line
- Forest Strip Area
- Canal
- Power Line Corridor

Prepared by



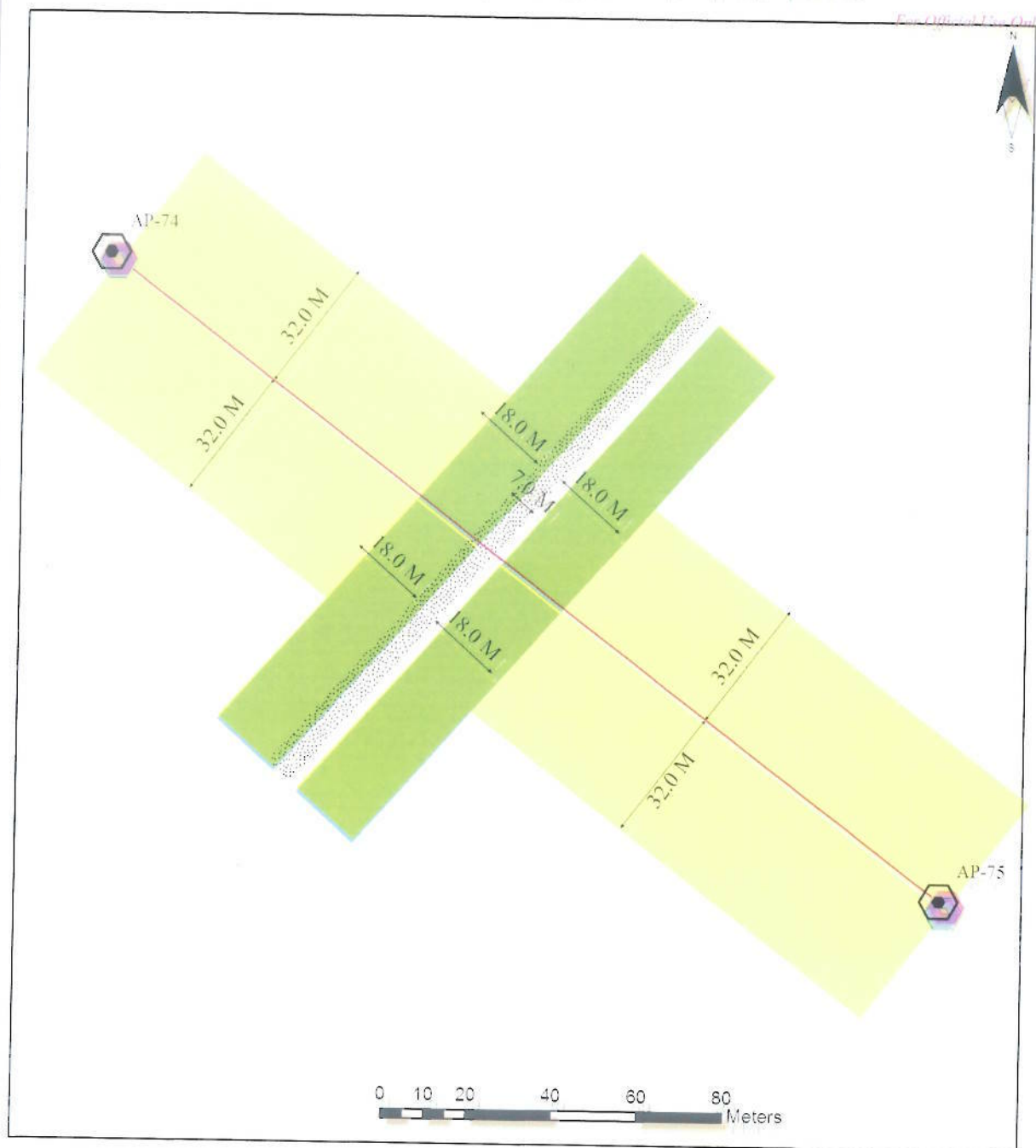
Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
(Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)
Sector-G, Jankipuram, Kursi Road
Lucknow-226 021

Note: Map based on GPS Coordinates and measurements given in the drawing provided by Divisional Director, Social Forestry Division, Kanpur Nagar.

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East, U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SITE MAP OF PROPOSED 765 KV SINGLE LINE DIAGRAM OF NH-86 CROSSING PROPOSAL FOR PKG-2A, KANPUR NAGAR



Legend

- Tower
- Power line
- Forest Strip Area
- Road
- Power Line Corridor

Prepared by



Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
(Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)
Sector-G, Jankipuram, Kursi Road
Lucknow-226 021

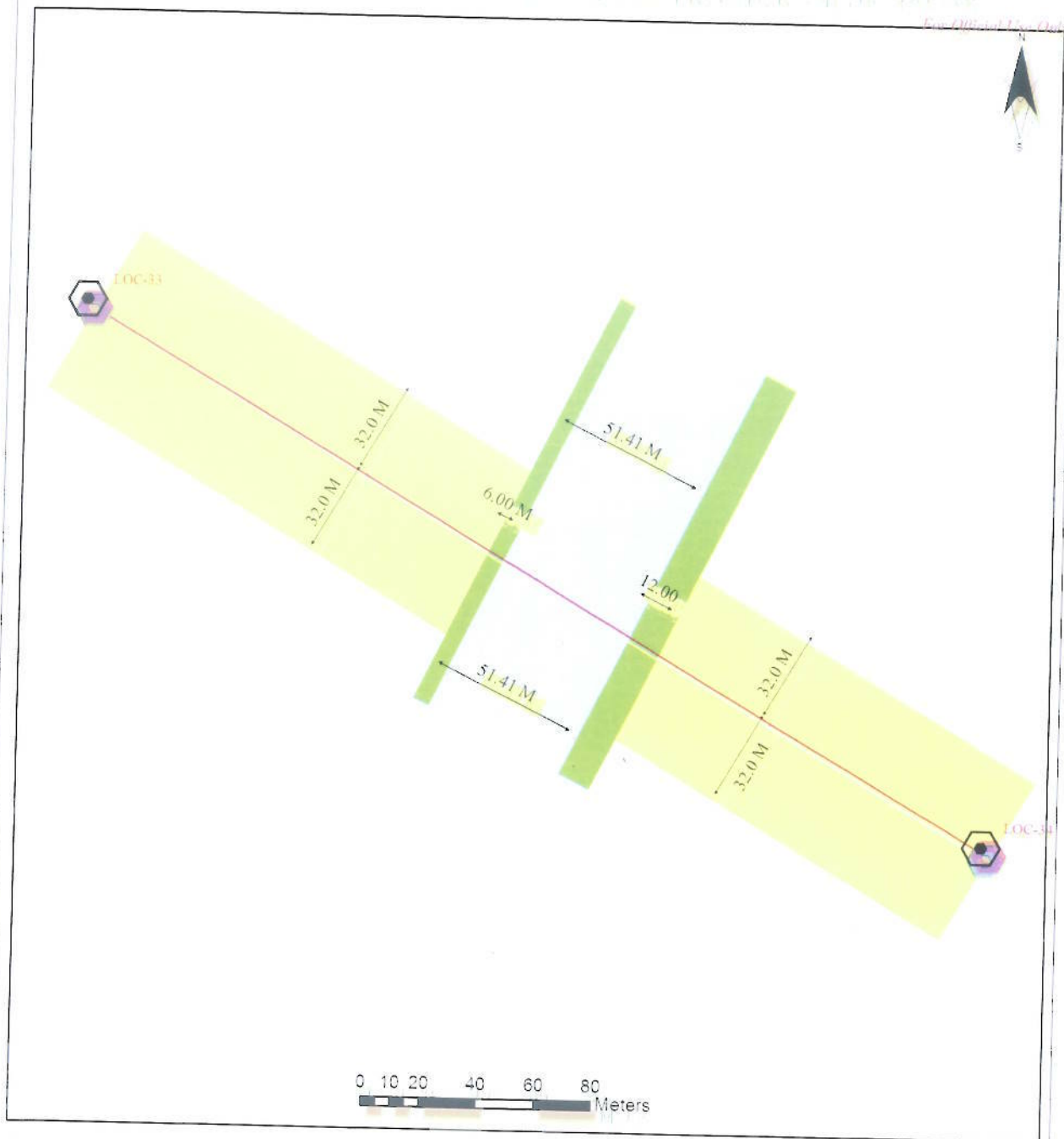
Note: Map based on GPS Coordinates and measurements given in the drawing provided by Divisional Director, Social Forestry Division, Kanpur Nagar

(R. L. Singh)

General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.
Lucknow

SITE MAP OF PROPOSED 765 KV SINGLE LINE DIAGRAM OF LOWER GANGA CANAL CROSSING PROPOSAL FOR PKG-1B, KANPUR NAGAR



Legend

- Tower
- Power line
- Forest Strip Area
- Canal
- Power Line Corridor

Prepared by

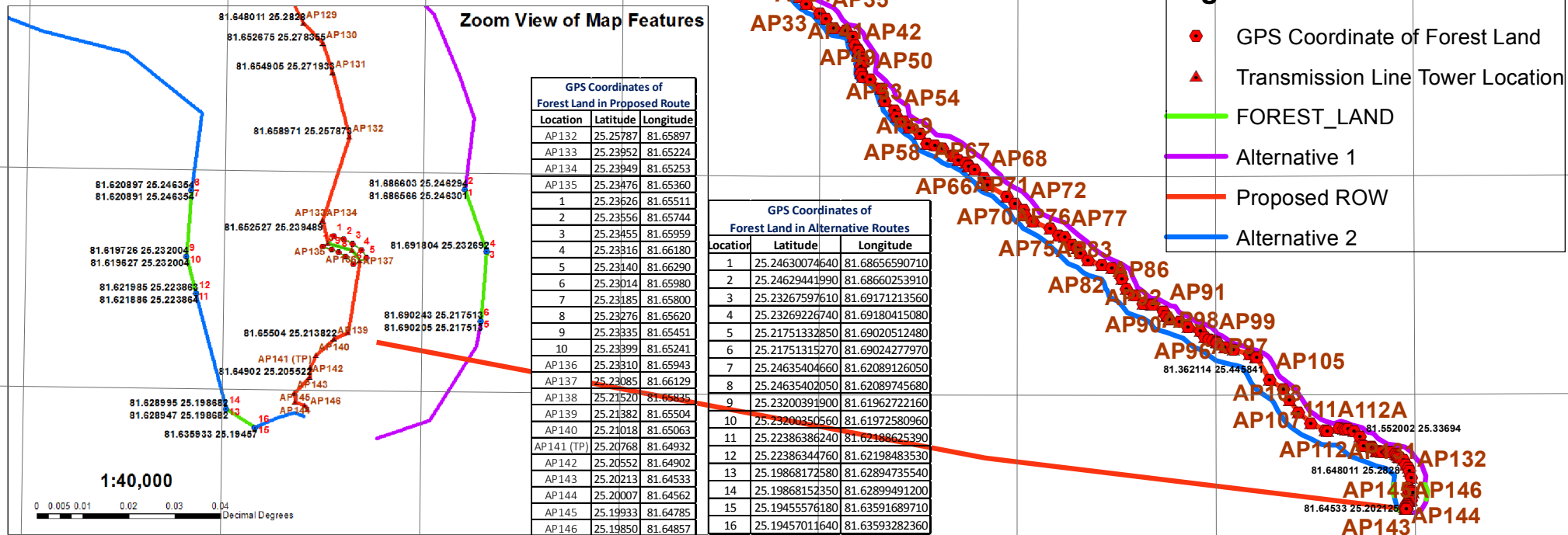
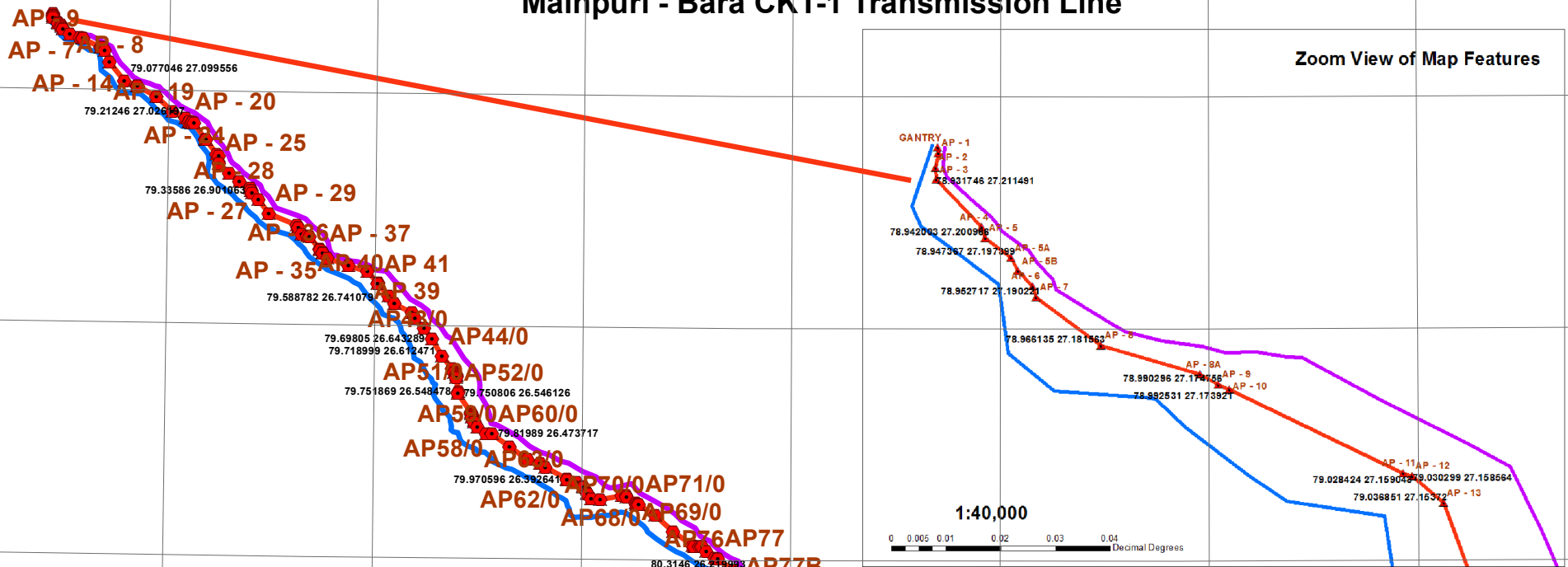


Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
(Dept. of Science & Technology, Govt. of U. P.)
Sector-G, Jankipuram, Kursi Road
Lucknow-226 021

Note: Map based on GPS Coordinates and measurements given in the drawing provided by Divisional Director, Social Forestry Division, Kanpur Nagar.

(R. L. Singh)
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.
Lucknow

Georeferenced Map of Proposed Forest Land for Proposed and Two Alternative (ROW) for 765 KV S/C Mainpuri - Bara CKT-1 Transmission Line



दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित 765 के0वी0 एकल परिपथ मैनपुरी-बारा विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि में कोई दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं हैं।


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.


अश्विनी कुमार यादव
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

65 के० वी० मैनपुरी - बारा सर्किट -1 पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि पर औषधीय / बौने पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित व्यय का प्राक्कलन

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा० उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक - जी - 99/15-1 सीलिंग दर दिनांक 30/01/2022 के अनुसार

प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य					
क्रम	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई प्रति	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	0.3456	हे०	71.4	24.68
2	मृदा परीक्षण 5 हे० में एक	1	सं०	478.4	478.40
3	क्षेत्र की सफाई	0.3456	हे०	4843	1673.74
4	गड्डों का पंक्ति बंधन	346	सं०	0.5	173.00
5	गड्डा खुदान ऊसर भूमि (0.6x0.6x0.6) मी०	346	सं०	19.3	6677.80
6	जिप्सम का मूल्य, ढुलान, लदवाई व उतराई सहित	346	गड्डा	7.22	2498.12
7	प्लास्टिक पाइप - 1"	180	प्रति मी०	63	11340.00
8	आर० सी० सी० के खम्बों का मूल्य कर सहित (0.4 मी० दूरी)	245	पोल	404	98980.00
9	फेंसिंग हेतु कंटीले तार का क्रय (5 लड़ी)	0.78	मेट्रिक टन	84892	66215.76
10	विडिओ ग्राफी, फोटोग्राफी अन्य व आकस्मिक व्यय (3 प्रतिशत)	लगभग	लगभग	लगभग	4400.64
11	नहर पटरी पर खर पतवार मूज घास आदि को रूट आउट करने पर व्यय जे० सी० बी० द्वारा	3	घंटे	900	2700.00
	योग				195162.14
द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य					
1	गड्डों में कोटनाशक दवा, जिप्सम, खाद व बालू मिलाकर गड्डा भरान	346	पौध	2.45	847.70
2	गोबर के खाद के आपूर्ति चट्टबंदी सहित प्रति घन मीटर	346	गड्डा	12.5	4325.00
3	कोटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	346	पौध	0.65	224.90
4	पौध का मूल्य (5 प्रतिशत अतिरिक्त)	346	पौध	100	34600.00
5	पौधों का रोपण स्थल तक ढुलान (20 से 30 कि०मी०)	346	पौध	5.67	1961.82
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	346	पौध	0.79	273.34
7	पौधा रोपण सिंचाई व थावला बनवाई	346	पौध	4.87	1685.02
8	रोपण के बाद पौधों की निराई गुड़ाई मलौचिंग एक बार प्रथम अक्टूबर दिसम्बर एवं द्वितीय फरवरी में	346	पौध	1.47	508.62
9	पौधों की सिंचाई तीन बार	1038	पौध	6.8	7058.40
10	आर० सी० खम्बों की ग्राउंटिंग (1:6) सीमेंट कंक्रीट	245	प्रति खम्भा	257.68	63131.60
11	खम्बों का स्थानीय ढुलान	245	प्रति खम्भा	4.33	1060.85
12	तार की खिंचाई	2000	प्रति मी०	1.12	2240.00
13	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय ८ हे० जुलाई से मार्च तक कुल एक बार	234	प्रति मानव दिवस	230	53820.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई व लिखाई	1	लगभग	4587	4587.00
15	अन्य व्यय ०२ प्रतिशत औजारों की मरम्मत	लगभग	लगभग	लगभग	2277.46
	योग				178601.71
16	महगाई व मुद्रा स्फीति कुल व्यय का १० प्रतिशत			अनुमानित	17860.17
	योग				196461.88
तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)					
1	पौधों की निराई गुड़ाई आदि रोपित पौधों में अप्रैल से मार्च तक तीन बार	1038	गड्डा	1.47	1525.86
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक नौ बार	3114	गड्डा	6.8	21175.20
3	तार फेंसिंग मरम्मत	1	लगभग	108.8	108.80
4	रासायनिक उर्वरक, कोट नाशक का प्रयोग मूल्य	0.3456	हे०	600	207.36
5	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	8000	8000.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	365	प्रति मानव दिवस	230	83950.00
7	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	3000	3000.00
	योग				117967.22
8	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				11796.72
	योग				129763.94
चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलौचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	692	पौध	1.47	1017.24
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक अठारह बार	6228	पौध	6.8	42350.40
3	मृत पौधों के स्थान पर पुनः ८ फ़ीट से अधिक ऊँचाई की पौध का १० प्रतिशत बदलना (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	52	पौध	100	5200.00
4	पौधों का ढुलान (१ कि०मी० - २० कि०मी०) (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	52	पौध	4.04	210.08
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	52	पौध	0.35	18.20
6	पौधा रोपण एवं तुरंत सिंचाई	52	पौध	5.63	292.76
7	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	312	प्रति मानव दिवस	230	71760.00
8	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
9	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	6000	6000.00
	योग				128848.68
10	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				12884.87
	योग				141733.55
पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष					

[illegible]

5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				972.28
	योग				10695.12

0.8064 हे० वन क्षेत्र में रोपण हेतु वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित व्यय का सारांश

क्रम	कार्य का विवरण	व्यय होने वाली राशि रूपये में
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य	195162.14
2	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य	196461.88
3	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)	129763.94
4	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	141733.55
6	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष	12895.12
7	षष्ठम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	10695.12
8	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष	10695.12
9	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्ठम वर्ष	10695.12
10	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष	10695.12
11	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष	10695.12
12	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष	10695.12
13	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष	10695.12
	योग	750882.50
	पूर्णांक	750882

	कुल योग	750882
--	----------------	---------------

रूपये शब्दों में - सात लाख पचास हजार आठ सौ बायसी मात्र



(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

PROPOSAL: FP/UP/TRANS/15538/2015

ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

साऊथ ईस्ट यू० पी० पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नयी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.3456 हे० सरंक्षित वन भूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा लगाई गई ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

CS
 (अभिनीत कुमार यादव)
 प्रशासक निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन विभाग
 कानपुर

(S. K. Singh)
 General Manager
 South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

साऊथ ईस्ट यू० पी० पॉवर ट्रांसमिशन क० लि०
 लखनऊ

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कि निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ बारा - मैनपुरी सर्किट -1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम १९८० में निहित दिशा - निर्देशों का पालन करेगी।


(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कं० लि०
लखनऊ



(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(203)
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, SOUTHERN DEAP DIVISION.

No. 22/10-9 Dated Etawah, September 18, 1955. 28

To

R.O. Kanpur.

MEMO

(Copy retained)

By Gazette Notification No. 3208/XIV dated 23.8.1955, the land specified in the schedule below have been declared as protected forests under chapter IV of the Indian Forest Act, hence provisions of the Indian Forest Act shall now be applicable to the road side plantations as well.

Therefore, henceforth cases of offences committed in the road side plantations should be regarded as 'Forest Offences' punishable under the I.F.A. or under any rule made thereunder, and such should be dealt with as such. Accordingly the cases of forest offence may be sent to a court of law for prosecution or may be got compounded by the Divisional Forest Officer under section 68 of the I.F.A.

SCHEDULE:

Sl. No.	Name of land to be declared as protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act.	District	Road mileage	Description of boundary.
1.	Grand Trunk Road, from mile stone 592/0 to mile 663/0	Kanpur	71 mile	The land has been demarcated on the ground by stone or cement pillars or boundary ditches.
2.	Kanpur-Kalpi Road from mile stone 52/0 to mile 96/0	-do-	44 "	-do-
3.	Kanpur-Hamirpur Road from mile-stone 2/0 to 28 39/0	-do-	37 "	-do-
4.	Old Meghal Road from mile 112 to mile 173.	-do-	64 "	-do-

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
SOUTHERN DEAP DIVISION,
ETAWAH.

Divisional Forest Officer,
Southern Deap Division,
Etawah.

The list of trees standing and growing in the protected forests declared as such by Government Notification No. 3208/XIV dated 23.8.55, to be reserved with effect from the date of this notification already been sent to you vide this office No. 1784/X-1 dated 7.12.1954.

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



(XV)

Copy of the notification No. 3208(IV)/XIV, dated 23.8.1955
published in Uttar Pradesh Gazette, dated 27.8.1955 in (Part I-A).

In exercise of the powers conferred by section 32 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), the Governor is pleased to make the following rules for the protected forests declared as such by Government notification no. 3208/XIV, dated August 23, 1955.

RULES:

No person shall, without the permission of a Forest Officer, do, attempt to do, or cause to be done, any of the following acts:

- (1) The cutting, sawing, conversion and removal of any tree and the ~~skinning~~ collection, manufacture and removal of forest produce from the protected forests;
- (2) The clearing and breaking of land for cultivation or for making of any threshing floor (Khalian) or tethering cattle, erecting of any temporary or permanent hut or house in such forests;
- (3) The cutting of grass and pasturing of cattle in such forests; and
- (4) The lighting, kindling or burning of any fire near such forests.

AS
shw
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



Details of Forest and Non-Forest Area

Name of Transmission Line - - 765 kv S/C (QUAD) Mainpuri - Bara Transmission Line (Ckt-1)

Component wise Forest area and Non- Forest Area

SLNo.	Division Name	Name of Village	Width (m)	Length (m)	Forest Area (Ha)	Total Non Forest Land involved in District (Ha)
1	Prayagraj	VAN Block 135/0 to 138/0	64	2251.659	14.4106	274.7584
		NH-76 Allahabad to Jhansi 141/0 to 142/0	64	67.000	0.4288	
Sub Total					14.8394	
		Itaullipur to Bharashowl Marg 82/0 to 82/1	64	21.000	0.1344	873.1392
		Khaga to Kishanpur Road 83/0 to 83/1	64	21.000	0.1344	
		Khakreru to Kot Road 90/1 to 90/2	64	21.000	0.1344	
		Shivrajpur to Chilla Road 55/0 to 56/0	64	21.000	0.1344	
		Joniha to Amoli Road 54/2 to 54/3	64	21.000	0.1344	
		Lower Ganga Canal 53/2 to 54/0	64	21.000	0.1344	
		Lower Ganga Canal Road 52/6 to 53/0	64	21.000	0.1344	
		Khajua to Amauli Road 42A/0 to 43/0	64	21.000	0.1344	
		Khajua to Bakewar Road 39/4 to 40/0	64	21.000	0.1344	
		Bakewar to Caudagarah Road 38/0 to 39/0	64	21.000	0.1344	
		Devnaai to Shakura Road 35/1 to 35/2	64	21.000	0.1344	
		Fatehpur to Gazipur Road 67/5 to 68/0	64	21.000	0.1344	
		Fatehpur to Banda Road 61/0 to 62/0	64	21.000	0.1344	
		Gazipur to Ashotar Road 71/1 to 71/2	64	21.000	0.1344	
		Lower Ganga Canal 72/0 to 72/1	64	21.000	0.1344	
		Rari Minor Road 86/0 to 86/1	64	21.000	0.1344	
Sub Total					2.1504	
3	Kanpur Nagar	Lower Ganga Canal (Kanpur Branch) 33/0 to 34/0	64	18.000	0.1152	180.3456
		NH-86 Kanpur to hamirpur 74/0 to 75/0	64	36.000	0.2304	
Sub Total					0.3456	
4	Kanpur Dehat	Rura to Jinjhak Canal Road 50/4 to 50/5	64	33.500	0.2144	421.4272
		Rura to Derapur Road 60/6 to 60/7	64	33.500	0.2144	
		Rura to Akahbarpur Road 61B/4 to 61B/5	64	20.000	0.1280	
		NH- 2 Kanpur to Delhi 64/0 to 65/0	64	39.000	0.2496	
Sub Total					0.8064	
5	Auraiya	Bela to Dibiyapur 39/4 to 40/0	64	16.000	0.1024	409.5168
Sub Total					0.1024	
6	Mainpuri	Kishni - Saman katra MDR 20D/0 to 20D/1	64	20.000	0.1280	299.424
		SH - 84 Sikohabad to Mainpuri KM 37 - 38	64	40.000	0.2560	
		SH - 83 Etawa to Mainpuri KM 47 to 48	64	20.000	0.1280	
		RLW Sikohabad - Farukhabad KM STONE 1251/2 to 1251	64	82.000	0.5248	
		Lower Ganga Canal KNP to ALIGH	64	39.020	0.2497	
		NH- 92 Bewar to Etawa KM 26-27	64	20.000	0.1280	
Sub Total					1.4145	
Grand Total					19.6587	2458.6112

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

Government of Uttar Pradesh
Office of District Collector
Kanpur Nagar

No:.....

Date:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India letter no. 11-09/98-FC (pt) dated 28 th October, 2014 it is certified that 0.3456 hectares of protected forest land proposed to be diverted in favour of South East U.P.P.T.C.L Lucknow for construction of 765KV Mainpuri-Bara circuit-I under Social Forestry Division Kanpur Nagar Distt. Kanpur Nagar.

It is further certified that "The above 0.3456 hectare of Protected Forest Land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive Tribal Groups (PTGs) and the rights of Pre-Agricultural Communities (PACs) are not being affected. The Forest Land proposed to be diverted has plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per the census-2001 and the census-2011."

(सहायक)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वनिकी प्रभाग
कानपुर

District Collector/District Magistrate
Kanpur Nagar
(विशाख जी०)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 02 सितम्बर, 2013

भाद्रपद 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा (निजी नि) प्रकोष्ठ

संख्या 795(1)/24-ऊ०नि०नि०प्र०/12-48(प्रकोष्ठ)-10

लखनऊ, 02 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

प०आ०-206

चूँकि मे० साउथ-इस्ट यू पी पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० (एस०इ०यू०पी०टी०सी०एल०), अनुज्ञप्तिधारी, जिसका पंजीकृत कार्यालय शालीमार टाईटेनियम 601-602, छठा तल, प्लॉट संख्या टी०सी०/जी-1 /1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पिन कोड-226010 में है, और जो उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति रखते हुए विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण हेतु अनुज्ञप्तिधारी है, ने उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है;

और, चूँकि, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत मंत्रालय ने 31/05/2012 को पत्र सं० 359/24-ऊ०नि०नि०प्र०/12-48(प्रकोष्ठ)/10 के द्वारा, विभिन्न गांवों की कृषि भूमियों से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्गों, रेलवे लाइनों, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र आदि के ऊपर से निकलने वाली लगभग 1508 कि० मी० की निम्नलिखित राज्यान्तरिक पारेषण योजना के अंतर्गत कार्य/परियोजनायें निम्नवत् हैं :-

अनुसूची

क्र० सं०	पारेषण लाइनों के नाम	अनुमानित लम्बाई	क्र० सं०	विद्युत उपकेन्द्र	क्षमता
1.	765 के०वी० एस /सी मैनपुरी-उन्नाव लाइन	192 कि०मी०	1.	765/400 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मैनपुरी	2000 एम०वी०ए०

क्र० सं०	पारेषण लाइनों के नाम	अनुमानित लम्बाई	क्र० सं०	विद्युत उपकेन्द्र	क्षमता
2.	765 के०वी० एस / सी मैनपुरी-बारा लाइन (स/क-1)	362 कि०मी०	2.	400/220 के०वी० रीवा रोड विद्युत उपकेन्द्र इलाहाबाद	630 एम०वी०ए०
3.	765 के०वी० एस / सी मैनपुरी-बारा लाइन (स/क-2)	362 कि०मी०	3.	400/220/132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र गोण्डा	830 एम०वी०ए०
4.	400 के०वी० डी/सी मैनपुरी अलीगढ़ लाइन	93 कि०मी०	4.	420/220/132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	1320 एम०वी०ए०
5.	400 के०वी० डी/सी गोण्डा शाहजहाँपुर लाइन	220 कि०मी०	5.	400/220/132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र औराई, संत रविदासनगर	950 एम०वी०ए०
6.	400 के०वी० डी/सी टांडा गोण्डा लाइन	95 कि०मी०			
7.	400 के०वी० डी/सी रीवा रोड- मेजा	33.5 कि०मी०			
8.	400 के०वी० डी/सी रीवा रोड- करछना	29.2 कि०मी०			
9.	400 के०वी० डी/सी बारा-मेजा	29.2 कि०मी०			
10.	400 के०वी० डी/सी बारा-करछना	39.5 कि०मी०			
11.	400 के०वी० डी/सी उरई मैनपुरी (पावर ग्रिड) के दोनों सर्किटों का लिलो मैनपुरी	43.3 कि०मी०			
12.	400 के०वी० डी/सी पनकी ओबरा 400 के०वी० रीवा रोड इलाहाबाद	0.8 कि०मी०			
13.	400 के०वी० सरोजनी नगर कुर्सी रोड (पावर ग्रिड) का लिलो 400 के०वी० सुल्तानपुर रोड लखनऊ	6.5 कि०मी०			
14.	400 के०वी० ओबरा सुल्तानपुर का लिलो 400 के०वी० औराई, (संत रविदास नगर)	1.2 कि०मी०			

के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन प्रदान किया था।

उपरोक्त पारेषण लाइनों के रास्ते में, निकट अथवा आसपास पड़ने वाले ग्राम, करबे एवं शहरों के नाम विस्तार में नीचे दिये गये हैं :-

क्रमांक	जिलों का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
1	मैनपुरी	गुरुकुल, नागलाखेड़ा, नगलापुनु, नागला इमालिया, बदनपुरा, नागला गोकुलपुर, सबोतनी, नागला जसवंतपुर, नागला सुखलाल, गितौली, नागला झारा, रायपुरा, गिरधरपुर, कुरुसरा, जौराई, नागला बत्ती, दादपुर, पतारा, बिन्दकीपुर, सुल्तानपुर, नागला मैनबाथ, भोपालपुर, नागला जेतकी, अगौठा, इगदेरहर, नागलारानीपुर, सथिनी, जारानैन, जगाई, गनोहर, नागलामुखनपुर, दिगरी, दलितपुर, नागला हरचन्दपुर, बलभियागपुरा, धरिया, उदेतपुर, खारा, गार्गी, अकाईनागला, सियारामपुर, उज्जयापुरवा, डबलपुर, कुबेरपुर, स्वाजपुर, नागलाहर, नागलामहनान, देवपुरवा, औछामार्कट, बलामपुर, अवलपुर, नागलापीपल, मानपुर, गजिया, नागलाकुली,	मैनपुरी सदर

क्रमांक	जिलों का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
		ग्यारहमयी,	
		उदेपुर, मखरन्दपुर, मालूपुर, अथेई, धमगोदपुर, उदराई, नागलागोदरिया, मेंदपुर, नागलाघोष, उस्मातखेरा,	करहल
		राजपुरकालन, नागलामुखन्द, दुल्हापुर, दुन्दीहर, मरियर, रामनगर, घरई, खेन्सा, दालीदखुर्द, जगपुरा, गोकुलपुर, उदयपुरखेलन, उदयपुरखुर्द, किशनपुर, लालमन, मेघपुर, रुद्रपुर, महरी, पिलवहर, पोईरपुर, बिनीपुर, दलीपखालन, मेहरियान, नागलाधुन्ध, बालमपुर, लखनपुर, कुनवरपुर, खैजानपुर, टनदेहर, रुद्रपुर, नागलाहटिला, झाण्डी, सुन्दरपुरवा, चित्रपुरवा, सियारा, शिवसिंहपुर, मनचना, किशोरपुर, बबुरा, मलिकपुर, रामपिछा, गुलाबपुर, नवादा, बारापुर, भगतपुर, त्रिलोकपुर, धीरपुर, रायहर, अन्तपुरी, नगथा, हुसैनपुर, भुदौली, नागाबुल, नागलाकुशलपुर, कुन्दनपुर, उन्चा इस्लामाबाद, बदनपुर, लालपुर, सदनी, अजीतगंज, नागलासिंहपुर, कच्छपुरा,	मोगौन
		बैजनाथपुर, नागला हरिवन्दपुर, पदरिया (बायें) नागलाजोला, बिछिया, नागला पिनहर, काली नगरा, अम्बलपुर, नागला धरीहर,	जगीर
		टिकसुरी, उसमानपुर, मीरापुर गुजराती,	सुल्तानगंज
2.	इटावा	नगरिया, रजौरा, पकनगोई, भुतहों, दसपुर, पटना, नोगला सुभाष, उदानपुर, बिकरानपुर, रामनगर, बदरपुर पचहर, भगवानपुरा, बमहनतपुर, पुरनपुरा, घहालवर, हटीला, रामपुर, जयसिंहपुर, अरवा, नागलागोला, हमीरपुर रूरा,	भरथना
3.	औरैया	उमराय नारी, यसवन्तपुर, वेदपुर, उदयपुर, चन्द्रपुर, हमीरपुर, रतनपुरा, कन्नापुर, श्यामपुर, लछीरामपुरवा, चिरकुवा, नागला बलसौर, पशुवा, सराय पिथौन, लोधपुरा, बिकरा, भौदशाला, कतरपुर, मलखाना, बन्दरिया, उदयपुरवा, हरिवंशपुर, बहादुरपुर, शहबाजपुर, कारापुरवा, लालूपुरवा, पटना इरवा, विक्रमपुर, निरंजनपुर, नागला बमशाला, बोगनपुर, पशुवा, कमलसियानपुर, बिकपुर, विपुरशहर, पुरवा बसन्ता, रावतपुर, सिंहपुरवा, सबलपुर, बागलापुरवा, मानवपुरवा, मौचन्दपुरवा, हरपाला, थाकरगाँव, पौरी थाकर गाँव,	विधुना
		पुरवामाना, नागला बिछौला, माखनपुरवा,	शहर
4.	रामाबाई नगर	पुरवा हरमा, करवन, ताजपुर, सलेमपुर, महिरा, पुरवा धरम सिंह, सुन्दरपुर, गुजैन, गरिहवा, पुरवादेवकी, बिजलपुर, सोनवर्षा, लखरदेरवा, मलगाँव, जैनपुर, इकधरा, पुरवा, कथौरा, पुरवा नाथवा, लाजपुरवा, मुकलिसपुर, मानसुरा, रहीमपुर, इनायतपुर, रामदीन पुरवा, कुमानपुरवा, नुराजरीला, किरातपुर, नाथ का पुरवा, पनामीनपुरवा, बिलासराजन, पमन (दाहिने पुलिस चौकी), शंकरपुर, मर्दानपुर, सरवन खेरा, मानसिंह का पुरवा, जिगनी का पुरवा, लोहारी, मनेथु, अरखिया, कन्दीर शाहपुर, रसूलाबाद, नगदवारपुर, नगला महिपाल, शंगावन, निवादा टान्डा, पुरवा धर्मसिंह, गरहिवा, पुरवा छोटा, पुरवा देवकी, पुरवा मक्का, सुनवर्षा, रौशन मऊ, रौशन मऊ, पुरवा नथिवा, लाजपुर, अमलिया चक, कुधिकवापुर, अरवाआ, नहरपुर, सराय हरपाली, नहरपुर, मनसुवा, तेलवाहार, इनायतपुर, सन्तोषपुरवा, रहीमपुर, रामदीनपुरवा, बारा, खुमनपुरवा, नाथ का पुरवा, मदीपुरवा, नुरा, गोपीपुर, बिलसरजन, जरिया, सूरजपुर, हृदयपुर, शंकरपुर, मर्दानपुर, गोपीपुर, निरहिमपुर, सराय, मानसिंह का पुरवा, त्रिवेदीपुर, नरायनपुर, कादवी, चमपतपुर, अरखईया, बिलसी, धरहरा,	अकबरपुर
		परियापुर, सलेमपुर महेरा,	रसूलाबाद

(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

क्रमांक	जिलों का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
5.	कानपुर नगर	दहेली, उजागरलाल, भरपुर, भारती पुरवा, राजापुरवा, चट्टा का पुरवा, सिपन, हरिदाईपुर, परौरी, रावतपुर, मोहीपुर, बिरसिंहपुर, करछलीपुरी, रसूलपुर उमरा, मोहसीनपुर, बकसारा, धरीबुजुर्ग, बरेरा, भारतीपुरवा, करेसर, हारादहीरपुर, चनकी, छतरपुर, गौरी खारा, गदनपुरवा, लक्ष्मनखेरा, मोहीपुर, सुखियापुर, बजरंग खेरा, खेरवापुर, सौन्ज, फरुखाबाद, घहघहु, घुसवापुर, बवाननवाड़ा, पुरवा भोज, मान नवाजा, उत्तरीपुरवा, दसुनवाजा, जैननवाजा, गौरानवाजा, लक्ष्मनपुर, औरावारी, कक्कपुर निहाल, छत्रपुर नवाजा, तारीखुर्द, बरवानकाला, गम्भीरपुर, गगपुल, चिन्तापुरवा, सलेमपुर,	घाटमपुर बिलौर
6.	फतेहपुर	भुलभुलयापुर, गोपालपुर, महलोदीनपुर, कहीमीरपुर, भगवुनपुर, नहियापुर, बेहटा, शहबाजपुर, गंगौली, शिलवान, गौरी, बनारसी, हनुमानगण, खुरमाबाद, चकहौली, मीरापुर, जहवापुर, अबनगाँव रसूलपुर उमरा, मोहम्मदपुर, सन्दरपुर, ककरहिया, गौरसारी खेड़ा, दाऊदपुर, धमौली, खीमीरीपुर, पाही, लुकोहिया खेड़ा, खैजा, वहीरामपुर, इन्द्र बदन का पुरवा, गदियापुर, गन्धारपी, नन्दपुर, चीचा, गंगौली, चिठापुर, सिलवान, बगनपुर, गनवाखेरा, चलहटा, छिछा, जुनिहन, बेहटा, फरीदपुर, पिथौरा, हनुमानखरी, चकअदमपुर, कतरइया, छत्रासलपुर, पहरपुर, धुन्धपुर,	बिन्दरखी फतेहपुर
		नरौली, अवसोथर, दरियानापुरवा, सरखन्दी, डेराबसरौली, इकदिया, रामपुर, सौलनबवानी, किशनपुर, सुदानपुर, कल्याणपुर, दीवारी, जैयजपुर, गोदवापुर, पहाड़पुर, सुनिया, नरौली, चकहौली, सरकन्दी वालपुर, तरपारा, दलपतपुर, लौहरपुर, रतनपुर, कबरा, नगदिलपुर, सिंहरीपतुर, शाहापुर, गिलहरा, बिरसिंहपुर, नगरूआ, भुला, दाता,	खागा
7.	कौशांबी	बरौली, बादपुर, देवरा, उनउनतल, फुलौली, साईबरा, उमरा, पलिवन, जजैली, अजरौली, अमरुपुर, मचौली, ओईमपुर, लघौरा, नसूलपुर, बिनौरा, वाइसकान्ती, भवानी का पुरवा, कबरहा, असना, बतवरिया, हकीमपुर, अवाना, ओईमपुर, वसूलपुर, गोपाल मिश्रा का पुरवा, झाथी, छाछपुर, भिवाहा, सरवारपुर, हसीमपुर किनाही,	मंझनपुर
8.	इलाहाबाद	भिलौर, कोलही, बिरबारी, पंचपरही, गोधर कपारा, खुदाई, चरहारी, नन्दखुर्द, पिपराहा, गोधर, लोहगारा, मिश्रापुर, पुरवा विसवा, भिलावन, ललाई, पहाड़ी, बन्दरवा, चमऊ, भोदूपुरा, हरहा, करियन, बिसकुरी, मधुपुरा, मोहदीनपुर, बाबूपुर, नेवली,	बारा इलाहाबाद सदर
		जहादीआही, मैखुर्द, पिपराव,	मेजा
		बाबूपुर, हिनैटी, मौदीनपुर, नवाबपुरवा, बन्दहवा, इमलिया, दन्दूपुर, पालपुर, सारंगपुर, कालिन्झ झरा, इरादतगंज, बिघइया, चौखटा, चकरमजानअली, ननियावान, बलिपुर, सुल्तनवा, मुरादपुर, हरिहरपुर, उगरही कटरा, चिदतूपुर, हनगनपुरवा, पुरवा चन्द्रभान सिंह, पुरगनेष, तरऊल, गतवा, चकमिश्रान, लोगदिया, फतेहपुर, तारी, महुरीरेवान, हषीमपुर, भीरपुर, कुरैनी, बनलयारारी, बषतर, बषैला, बितर, हरेया, कचहरा, जरी, निरौधा, गौतमपुरा, अगवैया, इकौनी, कौनदियरा, तेदवी, कुकरही, पहेलु का पुरवा, कुआन, रामगढ़वा, बरसवल, नचुना, गरनहा खुर्द, धारी, कजुरी, निदौरी, बराव, कोकसंद, संजय, नऊवा, कल्याणसाहिब, पारा, काइन, धौरहा, हरकटोरवा, वंषडिला, देवरी, चकसरीपुर, भुगा, दलवारी, चकसिमरा, गरनित्रा, पुरा गुरुदारा, दसाई बन्दवा, गौवनगिरा, मिठाई का पुरवा, बोधरिया का	करछना

क्रमांक	जिल्लों का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
		पुरवा, बरौली, बदगोहाना खुर्द, बदगोहाना कलान, बजिहो, धनकु का पुरवा, नौगवान, दुदरी, जेठपुर, सौनदही, कोलहुआ, जारी, कटरा, पण्डित का पुरवा, सिमरी, खीरी, मिचौना, छिपुन्दा, अन्तराकलान, लोक मान्य का पुरवा, बजवाना, दाण्डी, अमन का पुरवा, दीवान का पुरवा, कथौली कंवन्जवान,	
9.	अम्बेडकर नगर	फतेहपुर, सेखचक, दानपुर, ताजपुर, समरहिया, कुरकुशी, दयापुर पुरवा, सनदपुर, गोविन्दपुर,	टाण्डा
10.	बरती	भवरिया, शादीपुर, बघियरपुर, रानीपुर, संसारपुर, देवराबाद चौहान, सुनेरापुर, कूआगाँव, शेखपुर, पुरेबाद, शक्तिपुर, साईपुर, गंगीपुर, टिकरिया, खाटम सराय, रामनगर, केसरनगर, विधौरा,	हरईया
11.	गोण्डा	लालपुर, निकरौजा, बाबतपुरवा, पण्डितपुर, भीरपुर, कल्याणपुर, लखन सिंह का पुरवा, शोभापुर, बेरीपुरवा, कनकल्याणपुरवा, बलीपुर, घसनपुर, डलपुर, दरौरा, गोसंग, दर्जीपुरवा, नौसेरा, कलहनपुरवा, पसीगाँव, शिवाला, नगदाही, उमरपुर, सकलनपुरवा, भगनपुर, लौवतपरा, पुरवा राम दयाल, पाण्डेय पुरवा, हरिजनपुरवा,	तरबगंज
		ज्ञानपुर, मालनपुरवा, चकसरिया, सुभाशनपुरवा, बेनीप्रसाद पुरवा,	गोण्डा
		बाचलपुरवा, कादीपुर, नारायणपुर, बालनपुरवा, निमहनपुरवा,	करनैलगंज
12.	बहराइच	हरिचन्द्र, इलामाबाद पविया, खन्डैला, रंगाईपुरवा, गाजीपुरवा, दरखैदापुरवा,	केसरगंज
13.	बाराबंकी	अकौना, संतनगर, महुअर नगर, लैलापुरवा, रानीपुरवा,	रामनगर
14.	सीतापुर	पारा, बसन्तीपुर, कन्जवारा, सदरपुर, बहेदा, जाफरपुर, गंगरौला, चलकपुर, देवसराय, मनकापुर, पदरिया,	महमूदाबाद
		बटपुरवा, जंगल विलाई, बुदनापुर, नकारा, जसवंतनगर, शंकरपुर, तैवरा, इसेपुर, बरिहमाबाद, सलरगंज, कटैया, इटरिया,	बिसवां
		महोरिया, परसन्दी, जैनपुर, सैजाबाद, एरवा, समहौली, गराईपुर, अगरसी, गड्डीपुर, हरिकिशनपुर, सिंहहौरा, टिकर, अदुहरा, सरसुन्दा,	सीतापुर सदर
15.	लखीमपुर खीरी	बन्धुखेड़ा मधुमनी, हरनहा, लिछियायी, चखदिया, हरिराम खेड़ा, सिरहा, मुखदरपुर, रामपुर, रहिमापुर, दबवरापुर, अंतवारी, पिपरहा, देरपुरवा, काकीघरा, कटिहामुण्डी, चहाला,	मोहमदी
16.	शाहजहाँ पुर	चकमजहर, दिलावरपुर, चकबहितारा,	शाहजहाँपुर
17.	एटा	रेजकुरा, नागलाफुके, फतेहपुर खोरा, नागला मंगौली, सेनहा काला, रिजोरे मार्केट, सिकन्दरपुर, सेवाजपुर, गोपालपुर, नागला कनौली, शेखपुर सहानी, अहमदपुर, पापोटू मार्केट, सुन्दरपुर, नागला गहदरिया, फतेहपुर, नागला भीम, पाटी, गदरका, जवाहरपुर, स्टेशन, किशनपुर, कुकराला, रुसतम गढ़, नागला बारी, श्यामपुर, डोलेश्वर, नागला मानी, मेहमदपुर, नागला सुन्दर, नागला फौजी,	एटा सदर
18.	हाथरस	जिरौली कलर, पुलराय, सिकन्दरराव, सुन्दरपुर, लश्करगंज, बरदमोई, नागलाहर, करमापुर, रतनपुर, हुसैनपुर, पुहरपुर,	सिकन्दराराव
19.	अलीगढ़	चन्द्रपुर, सुसयान, किरतपुर,	कौल
20.	कन्नौज	परौरा, सराय कयाम, वीरपुर, बहादुरपुर, हुसपुर, पुरवा बागी, मादपुरा, सपना, पुरवामन्ना, रावतपुर, कुवरपुर, गहगेरा, पुरतौला,	छिबरा मऊ तीरवाँ

क्रमांक	जिल्लों का नाम	ग्रामों के नाम	तहसील
		सरौली, हनजनपुर, नयापुरवा,	रसूलाबाद
21.	उन्नाव	मरौन्दा, परिअर, मोमिनपुर, ऐरा, परमानी, थाना, अकबरपुर दबैली, महावीर खेरा, बाबू खेरा, बलवन्तखेरा, महिपात खेरा, जहवु खेरा, रामपुर, केसरीखेरा, भुतवल, मुर्तजा नगर, सखय,	उन्नाव सदर
22.	लखनऊ	निजामपुर, बरौना, नागला बरौना, राजाखेरा, जगनखेरा, सुनाईखेरा, रानीखेरा, बुद्धखेरा,	लखनऊ सदर
		दाउदनगर, सयानघोच, परहेता, उर्मदखेरा,	मोहनलाल गंज
23.	सन्तरवि दास नगर	भागलपुर, लिलाधरपुर टोला, बगनौती, लिलाधरपुर,	औराई

और, चूंकि, अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अन्तर्गत सभी शक्तियां उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया है, जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किये जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइन और खंभे लगाने के संबंध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास है।

अतः, अब, पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अन्तर्गत विद्युत की राज्यान्तरिक पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करता है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए अथवा अनुरक्षित किये गये या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किये जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइन एवं खंभे लगाने के संबंध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास है :-

1-अनुमोदन 35 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

2-अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व, संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

3-अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण ,ओ. एंड. एम, खुली पहुंच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/कोडों का अनुपालन करना होगा।

4-अनुज्ञप्तिधारी केवल अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र में ही विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण हेतु उत्पादन स्टेशन बारा, करछना, मेजा एवं टांडा से उत्पादित उर्जा की निकासी के लिए विद्युत पारेषण लाइनों का प्रयोग करेगा।

5-अनुज्ञप्तिधारी संबंधित राज्य के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा।

6-यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।

आज्ञा से,
संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the English translation of notification no.795(1)/XXIV – Uni.Ni.Pr.-13-48(Prakosth)-10, dated September 02, 2013 :

NO. 795(1)/XXIV-Uni. Ni. Pr.-13-48(Prakosth)-10

Dated Lucknow, September 2, 2013

WHEREAS SOUTH EAST UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED the licensee, with its registered office at 601-602, Shahmar Titanium, 6th floor, Plot No.TC-G-1/1, Near Indira Gandhi Pratishthan, Vibhuti Khand,Gomti Nagar, Lucknow-226010 being a licensee for *Intra State* Transmission of electricity having a license under the Electricity Act, 2003 for the State of Uttar Pradesh has applied for approval of the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Power.

AND, WHEREAS, on May 31, 2012 vide letter no. 359/XXIV-U.N.N.P/12-48 (Prakosth)-10, the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Power, had granted to the licensee approval under section 68 of the Electricity Act, 2003 for the following Transmission Scheme.

Name of Transmission Scheme – 765 kV S/C Mainpuri- Bara Line with 765 kV / 400 kV AIS at Mainpuri and Associated Schemes/Works.

The works/project elements covered under the scheme are as follows.

SCHEDULE

Sl. no	Works/Project Elements	Approx Line Length	Sl. no.	Works/Project Elements	Capacity
	Transmission Lines			Substations	
1.	765 kV S/C Mainpuri- Unnao Line	192 KM.	1.	765/400 kV Mainpuri sub-station	2000 MVA
2.	765 kV S/C Mainpuri – Bara Line (Ckt I)	362 KM.	2.	400/220 kV Reewa Road sub-station, Allahabad	630 MVA
3.	765 kV S/C Mainpuri – Bara Line (Ckt II)	362 KM.	3.	400/220/132 kV Gonda Sub-station	830 MVA
4.	400 kV D/C Mainpuri- Aligarh Line	93 KM.	4.	400/220/132 kV Sultanpur Road sub-station, Lucknow	1320 MVA
5.	400 kV D/C Gonda- Shahjahanpur Line	220 KM.	5.	400/220/132 kV Aurai Sub-station, Sant Ravi Das Nagar	950 MVA
6.	400 kV D/C Tanda- Gonda Line	95 KM.			
7.	400 kV D/C Rewa Road – Meja Line	33.5 KM.			
8.	400 kV D/C Rewa Road – Karchana Line	29.2 KM.			
9.	400 kV D/C Bara- Meja Line	29.2 KM.			
10.	400 kV D/C Bara- Karchana Line	39.5 KM.			
11.	LILO of Both circuits of 400 kV D/C Orai- Mainpuri(PG) at Mainpuri (765 kV)	43.3 KM.			
12.	LILO of 400 kV Panki- Obra at 400 kV Rewa Road, Allahabad	0.8 Km.			
13.	LILO of 400 kV Sarojininagar-Kursi Road (PG) at 400 kV Sultanpur Road, Lucknow	6.5 KM.			
14.	LILO of 400 kV Obra- Sultanpur at 400 kV Aurai, Sant Ravidas Nagar	1.2 Km.			

Of approximately 1508 kM. passing through agriculture lands of various villages, crossing over the National and State Highways, Railway lines, Local Authority areas etc. The Transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities.

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
1	Mainpuri	Gurukul, Nagla Khara, Nagla Punu, Nagla Imaliya, Badanpura, Nagla Gokulpur, Sagotini, Nagla Jaswantpur, Nagla Sukhlal, Ghitauli, Nangla Jhara, Raipura, Khirdarpur, Kurusara, Jaurai, Nagla Bakti, Dadpur, Patara, Bindkipur, Sultanpur, Nagla Mainbath, Goplapur, Nagla Jhetki, Angautha, Igaderahar, Nagla Ranipur, Sathni, Jaramain, Jagai, Dannahar, Nagla Mukandpur, Dhigrai, Sathni Dalitpur, Nagla Harchandpur, Balabhiyaa Ghamura, Gharia, Udayat Pur, Kharra, Gargi, Akahi Nagla, Shiyampur, Ujhaiyapurva, Jabalpur, Kuberpur, Swajpur, Nagala Har, Nagala Mahanand, Devpurva, Aouchha Market, Balampur, Achalpur, Nagalapiple, Manpur, Gadiya, Nagla Tuli, Jaramai	Mainpuri Sadar
		Udepur, Makrandpur, Malupur, Hatchi, Dharmangodpur, Kodaria, Nagla Godaria, Mendpur, Nagla Gosh, Kusmatkhera	Karhal
		Rajpur Kalan, Nagal Mukand, Dulhapur, Dondiher, Marior, Ramnagar, Garhi Kensa, Dalip Khurd, Jatpura, Gokulpur, Udaipur Kalan, Udaipur Khurd, Kishanpur, Lalman, Meghpur, Ruderpur, Mahri, Pilwahar, Poharpur, Binipur, Dalip Kalan, Meheriyan, Nagla Dunde, Balampur, Lakhanpur, Kunwarpur, Khijanpur, Tandehar, Ruderpur, Nagla Lalman, Bahadurpur, Nagla Bandah, Nagaria Bhagi, Kunwerpur, Khana Bandh, Hatila, Dande, Sundarpurwa, Chitrapurwa, Shyara, Shivsingpur, Manchana, Kishorepur, Bhaghura, Mallikpur, Rampicha, Gulabpur, Navada, Bharapur, Bhakatpur, Trilokpur, Dhirpur, Raihar, Antpuri, Nagtha, Hussainpur, Budhauhi, Nagalagul, Nagla Kushalpur, Ramnagar, Kundanpur, Uncha Islamabad, Badanpur, Lalpur, Sathni, Ajit Ganj, Nagla Singh Pur, Kachhpura.	Bhogaon
		Bajinath Pur, Nagla Harichand Pur, Padariya (Left), Nagla Jola, Bichiya, Nagla Pinhar, Kail Nagra, Amber Pur, Nagla Garihar	Jagir
		Tiksuri, Usman Pur, Meera Pur Gujrati	Sultan Ganj
2	Etawah	Nagaria, Rajjura, Nagaria, Pakhangoi, Bhutha, Daspur, Patna, Nogra Subhasb, Udanpur, Bikrampur, Ramnagar, Bahadurpur Pachar, Bhagwanpura, Bamhantpur, Puranpura, Gahalwar, Hatila, Rampura, Jaysinghpur, Airwa, Nagla Gola, Hamirpur Rura	Barthana
3	Aurriya	Umrainari, Jaswantpur, Bhedpur, Udaipur, Chandarpur, Hamirpur, Rathapur, Kannapur, Shyampur, Lachirampurwa, Chirkuwa, Nagla Bhalasur, Pasuwa, Sarai Pithon, Lodhpura, Bhikra, Bhodsala, Katrarupur, Malkhana, Bhandaria, Udai Purwa, Harbanspur, Bahadurpur, Shahbajpur, Kara Purwa, Lalau Purwa, Patna Airwa, Vikrampur, Niranjapur, Nagal Bamsala, Bhoganpur, Pasua, Kamalsiyapur, Bikkpur, Bippur Sahar, Purwa Basanta, Harbanspur, Rawatpur, Singh Purwa, Sabalpur, Bagla Purwa, Mano Purwa, Mahchand Purwa, Shahbajpur, Harpala, Thakargaon, Pauri Thakurgaon.	Bidhuna
		Purwa Mana, Nagla Bichola, Makhan Purwa	Sahar
4	Ramabai Nagar	Purwa Harma, Karchan, Tajpur, Salempur Mahera, Purwa Dharam Singh, Sunderpur Gujain, Garhiwa, Purwa Deoki, Bijalpur, Sunwarsa, Lakhar Derwa, Malgaon, Chainpur, Ekghara Purwa, Kathaura, Purwa Nathuwa, Lajpur, Muklishpur, Mansura, Rahimpur, Inayatpur, Ramdin Purwa, Kuman Purwa, Nurra, Jaraila, Kiratpur, Nath Ka Purwa, Pannamin Purwa, Bilsarajan, Paman RS Police Chauky, Shankarpur, Mardanpur, Sarvanlkhera, Mansingh Ka Purwa, Jigni Ka Purwa, Lohari, Manethu, Arkhia, Kandri Champatpur, Monora, Thakurgaon, Pauri Thakurgaon, Makhan Purwa, Purwa Ahiran, Shahpur Rasulabad, Nakdawapur, Nagla Mahipal, Sangawan, Newada Tanda,	Akbarpur

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
		Purwa Dharam Singh, Garhiwa, Purwa Chota, Purwa Deoki, Purwa Makka, Sunwarsa, Lamhaura, Bhawanpur, Kari Kalwari, Purwa Gosain, Sumerpur, Chainpur, Kathaura, Roshanmau, Roshanmau, Purwa Nathiba, Lajpur, Amlia Chak, Kudikwapur, Arhwa, Naharpur, Sarai Har Pali, Naharpur, Mansura, Telwaha, Inayatpur, Santosh Purwa, Rahimpur, Ramdin Purwa, Barah, Khuman Purwa, Nath Ka Purwa, Maddi Purwa, Nurra, Gopipur, Bilsarajan, Jaraiyya, Surajpur, Hirdepur, Shankarpur, Mardampur, Gopipur, Nirahimpur, Sarai, Mansingh Ka Purwa, Trivedipur, Naranpur, Kandri, Champathpur, Arkhia, Bhilsi, Dharahra	
		Pariyapur, Salempur Mahera	Rasulabad
5	Kanpur Nagar	Daheli Ujagarlal, Bharatpur, Bharti Purwa, Raja Parwa, Chatta Ka Purwa, Siphon, Hridaipur, Parauri, Rawatpur, Mohipur, Birsingpur, Karchalipuri, Rasulpur Umra, Mohasinpur, Baksara, Dari Bujurg, Barera, Bharti Purwa, Kharsar, Hara, Dhirpur, Chhaunki, Chhatapur, Gouri Kakra, Madan Purwa, Lakshman Khera, Mohipur, Sukhiyapur, Bajrang Kheda	Ghatampur
		Kherwapur, Saunj, Farrukhabad, Ghagu, Ghuswapur, Bhawan Nawada, Purwa Bhoj, Bhawan Nawada, Man Nawada, Badan Nawada, Uttari Purwa, Dasu Nawada, Chain Nawada, Gauran Nawada, Lachman Pur, Aura Bari, Kakupur Nihal, Chatapur Nawada, Tari Khurd, Barwan Kala, Gambhirpur, Ghagpur, Chinta Purwa, Salempur	Bilhor
6	Fatehpur	Bhulbhullaiyapur, Gopalpur, Mohluddinpur, Kahimirpur, Bhagaunapur, Nahiyapur, Behta, Shahbajpur, Gangauli, Silawan, Gauri, Banarsi, Hanumangarh, Khurramabad, Mohanpur, Chhatarsalpur, Dhamema, Nonia Ka Purwa, Nandlalpur, Sunia, Paharpur, Chak Hauli, Mirapur, Jhabbapur, Abhangaon, Rasulpur Umra, Mohammadpur, Sundharapur, Kakrahiya, Gausari Kheda, Dudepur, Dhamauli, Kahimirpur, Pahi, Lukoiyakhara, Khajuha, Birhirampur, Inder Badan Ka Purwa, Gandiyapur, Gandharpi, Nandapur, Chicha, Gangauli, Thithaura, Silawan, Bhagaunapur, Ghanwakhera, Chalhata, Chhichha, Junihan, Behta, Faridpur, Thithaura.	Bindki
		Hanumangarhi, Chak Adampur, Kakraiha, Chhatrasalpur, Paharpur, Dundra.	Fatehpur
		Narauli, Asothar, Dariyana Purwa, Sarkandi, Dera Bhasraul, Ekdia, Rampur, Solon Bhabani, Kishanpur, Sudanpur, Maukala, Tarapar, Loharpur, Ratanpur, Kabra, Nagdipur, Siharipatu, Ghosi, Shahapur, Kalnapur, Diwari, Jaajipur, Godhwapur, Paharpur, Sunia, Narauli, Chak Hauli, Sarkandi, Walipur, Solon Bhabani, Kishanpur, Godhwapur, Tarapar, Dalpatpur, Loharpur, Ratanpur, Kabra, Nagdipur, Siharipatu, Shahapur, Gilchra, Birsinghpur, Bhula, Nagarawa, Dhata	Khaga
7	Koushambi	Barauli, Bhadpur, Deora, Unontal, Kulauli, Saibara, Umra, Paliwan, Jajauli, Ajreuli, Amrupur, Machhauri, Oaimpur, Ladhaura, Nasutapur, Benaura, Bais Kanti, Bhawani Ka Purwa, Kabraha, Asna, Bhatwaria, Hakimpur, Awana, Oaimpur, Rassulpur, Gopal Misra Ka Purwa, Jathi, Chhajur, Bhiwaha, Sarwarpur, Sarwarpur, Hashimpur Kinai.	Manjhanpur
		Bhilor, Kulhai, Derabari, Pachpahari, Ghoghar, Khapara, Khudai, Charhari, Laund Khurd, Pipraha, Bhilor, Kulhai, Charhari, Ghoghar, Lohgara, Mishrapur, Lohgara, Pura Baishya, Bhilawan, Lalai, Shri Tara, Pahari, Bhandrwa, Chamu, Boudhpura, Harha, Kharian, Bhiskuri, Madhupura.	Bara

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
8	Allahabad	Muhaddin Pur, Babu Pur, Neuti	Allahabad Sadar
		Jhadiahi, Mai Khurd, Pipraon	Meja
		Babupur, Hinauti, Muhiuddin Pur, Nawapurwa, Bandhwa, Imilia, Dandupur, Paipur, Sarangapur, Kalinjra, Iradatganj, Bigahia, Chaukhata, Chak Ramzan Ali, Nandhiyawan, Balipur, Sultanwa, Muradpur, Hariharpur, Ubhari, Katra, Chhitupur, Hathgan, Purwa, Pura Chandrabhan Singh, Pura Ganesh, Laraul, Ghatwa, Chak Mishran, Logdahia, Fatehpur, Thari, Mahori Rewan, Hashimpur, Bhirpur, Puraini, Banlyawari, Bastar, Basaila, Bhitari, Haraiya, Kachra, Jari, Niraundha, Gautampura, Gautampura, Agwaiya, Ekauni, Kaundhiara, Tendui, Tendui, Kukurhi, Pahelu Ka Purwa, Kuan, Ramgarhwa, Barswal, Nachuna, Gamha Khurd, Dhari, Khajuri, Nidauri, Baraon, Koksand, Sanjai, Nausa, Kalyan Sahib, Para, Khain, Dhauraha, Harkatorwa, Basdila, Deori, Chak Saripur, Bunga, Dalwabari, Chak Semra, Garnitara, Pura Ghurdwara, Dasai Bandhwa, Gauhangia, Mithai Ka Pura, Bodharia Ka Pura, Barauli, Bari, Badgohna Khurd, Badgohna Kalan, Bajiho, Danku Ka Pura, Naugawan, Dhondri, Jethupur, Sondhia, Kollua, Jari, Katra, Pandit Ka Pura, Semri, Khiri, Nichauna, Chipaundha, Antari Kalan, Lokman Ka Pura, Bajbana, Dandi, Aman Ka Pura, Diwan Ka Pura, Kathauli, Kanchanuwan	Karchana
9	Ambedkar nagar	Fattepur, Shekhchak, Danpur, Tajpur, Samraiha, Khurkhuri, Dayapur Purwa, Sandpur, Gobindpur	Tanda
10	Basti	Bhawariya, Saadipur, Badhiyarpur, Ranipur, Sansarpur, Devrabad Chauhan, Sunerapur, Kuvagaon, Shekhpur, Purebad, Saktipur, Saipur, Gangipur, Tikaria, Khatamsarai, Ramnagar, Kesarnagar, Ridhaura	Harraiya
11	Gonda	Lalpur, Nikhrauja, Babatpurwa, Paditpurwa, Mirpur, Kalyanpur, Lakhansinghapurwa, Sobhapur, Beripurwa, Kankaliyanpurwa, Ballipur, Ghasanpur, Dalpur, Daraura, Gosang, Darjipurwa, Naushera, Kalhanpurwa, Pasiagaon, Sivala, Nagdahi, Umarpur, Saklanpurwa, Baganpur, Lauvatapra, Purwa Ram Dayal, Pandeypurwa, Harijanpurwa	Tarabganj
		Gyanpur, Malanpurwa, Chaksaria, Subhansanpurwa, Beniprasad Purwa, Bachalpurwa, Kadipur, Narayanpurwa, Balanpurwa, Nimhanpur	Gonda
			Cornelganj
12	Bahraich	Harchanda, Islamabad Paviya, Kandela Rangaipurwa, Gajipurwa, Thekedarpurwa,	Kesarganj
13	Barabanki	Akona, Santnagar, Mouharnagar, Lilapurwa, Ranjipurwa,	Ramnagar
14	Sitapur	Para, Basantipur, Kanjwara, Sadarpur, Baheda, Jafarpur, Gangrela, Chalakapur, Devsarai, Mankapur, Padriya	Mahmoodabad
		Butpurwa, Jangalvilai, Purwa, Budhnapur, Nakara, Jaswantnagar, Sankarpur Teora, Isepur, Berhimabad, Salarganj, Katia, Itaria.	Biswa
		Sitapur Sadar, Mohoria, Parsandi, Janipur, Saizabad, Airwa, Sahmoholi, Garaipur, Angrashi, Gaddipur, Harikishanpur, Singhaura, Tikar, Adhuara, Sarsunda	Sitapur Sadar
15	Lakhimpur Kheeri	Bandukheda, Madhumani, Harnaha, Lidhiyai, Chakhadia, Hariramkheda, Siraha, Mukdarpur, Rampur, Rahimapur, Dabhaura, Antarwari, Pipraha, Derpurwa, Katighara, Katihamundi, Chhala,	Mohamdi
16	Shahjahan pur	Chakmajhra, Dilawarpur, Chak Bhitara	Shahjahanpur
17	Etah	Rejpura, Naglafiuke, Fatehpurkhorra, Nagla Mangoli, Senha Kala, Rizore	Etah Sadar

Sl. no	Name of District	Name of Villages	Tehsil
		Market, Sikandar Pur, Sewaj Pur, Gopalpur, Nagala Kanoli, Shekhpur Sahani, Ahamadpur, Phapotu Market, Sundarpur, Nagalaghadriya, Fatehpur, Nagala Bheem, Patti, Badarka, Jawaharpur Station, Kishanpur, Kokralla, Rustamgarh, Nagala Bari, Shayampur, Dholeshawar, Nagalamani, Mehmampur, Nagala Sundar, Nagala Fouzi	
18	Haithras	Jirouli Kalar, Phulrai, Sikandrarao, Sundarpur, Lashkarganj, Bardmoi, Nagalahar, Karampur, Ratanpur, Husainpur, Puharpur	Sikandara Rao
19	Aligarh	Chandpur, Susayan, Kiratpur	Kol
20	Kanauj	Paraura, Sarai Kayam, Birpur, Bahadurpur, Badurpur, Huspur, Purwa Bhaggi, Madhpura, Sapna	Chhibramau
		Purwa Manna, Rawatpur, Kunwarpur, Bhagera, Purwatula	Tirwa
		Sarauli, Hanjanpur, Naya Purwa	Rasulabad
21	Unnao	Maronda, Pariar, Mominpur, Aira, Parmani, Thana, Akbarpur Dabauli, Mahabeer Khera, Babu Khera, Balwant Khera, Mahipat Khera, Jhau Khera, Rampur, Kesari Khera, Butwal, Murtaja Nagar, Sarai	Unnao Sadar
22	Lucknow	Nijampur, Barauna, Nagla Barauna, Raja Khera, Jagan Khera, Sunai Khera, Rani Khera, Budha Khera	Lucknow Sadar
		Dawood Nagar, Sayyan Goach, Parheta, Umrda Khera	Mohanlal Ganj
23	Sant Ravi Das Nagar	Bhagla Pur, Liladhar Pur Tolla, Liladhar Pur, Bagnauti	Aurai

AND, WHEREAS, the licensee has now requested to confer upon him all the power under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained.

NOW, THEREFORE, after careful consideration, Government of Uttar Pradesh, Ministry of Power, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the licensee which telegraph authority possesses under the Indian telegraph Act, 1885 with respect to the placing of lines and posts for the purposes of telegraph established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned *intra state* transmission lines for transmission of electricity namely :—

- The approval is granted for 35 years.
- The Licensee shall have to seek the consent of the concerned authorities *i.e* local bodies, Railways, National Highways etc. before erection of proposed lines.
- Licensee shall have to follow regulations/codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc.
- The Licensee shall use these lines for evacuation of the power from generating station at Bara, Karchana, and Meja & Tanda to its licensed area only.
- The Licensee shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective state.
- The approval is subject to compliance by the Licensee to the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the Rules made there under.

By order,
SANJAY AGGARWAL,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 374 राजपत्र (हि०)-2013-(769)-599+50 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

374 RPH Eng. Urja-2013

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटमपुर रेंज, सा.वा. वन प्रभाग कानपुर

पिन- 209206

घाटमपुर / दिनांक 22/07/2021

पत्रांक- 13/14-1



सेवा में,

प्रमाणीय निरीक्षक
साठवाठ प्रभाग
कानपुर

पत्रांक- 265
दिनांक- 15/07/21
साठवाठ प्रभाग, कानपुर

सेवा में
प्रमाणित
24/07/21

विषय- 765 के 0 वी 0 रुख / सी में नपुरी वरामपुर-1 के पास पारंपरिक बाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर जंगल में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक- 3100/14-1 दिनांक- 24/02/2021।
महोदय-

उपरोक्त विषयक क्रम में निवेदनपूर्वक छाबगत करना है कि प्रसंगगत परिमोपना का संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि तथा श्री अरविन्द कुशवाहा 0040 के द्वारा किया गया। प्रसंगगत संरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। संरक्षित वन भूमि से सम्बन्धित बिन्दुवार धारणा निम्न प्रकार प्रेषित है -

1. स्मारक क्षेत्र नहीं है।
2. दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं हैं।
3. राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण / रिजर्व बाघ / हल्दी कोरीडोर नहीं है।
- 4.
5. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।
6. वन संरक्षण अधिनियम - 1980 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

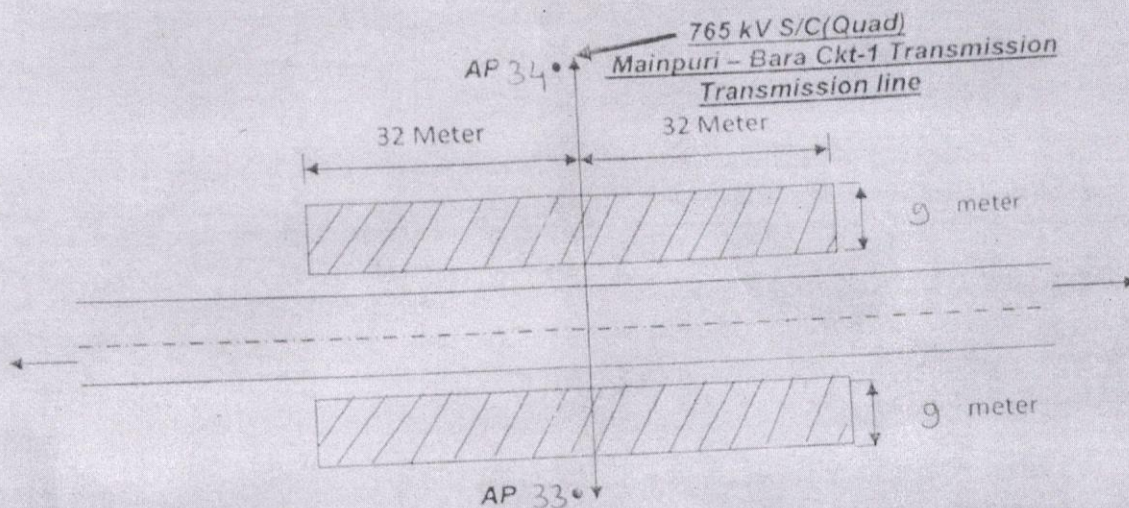
महोदय
साठवाठ प्रभाग
कानपुर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
घाटमपुर, कानपुर नगर

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Bara Ckt-1 Transmission Line

Forest Range : Ghatampur
District : Kanpur Nagar

Date: 13/07/21



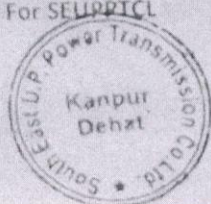
Area of protected forest strip: $64 \times 9 = 576 \text{ Sq. Mtr.}$
Area of protected forest strip: $64 \times 9 = 576 \text{ Sq. Mtr.}$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

1.37

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	Eucalyptus	280	01	
2	Eucalyptus	250	01	
3	Eucalyptus	205	01	
4	Eucalyptus	282	01	
5	Eucalyptus	225	01	
6	Eucalyptus	190	01	
7	Eucalyptus	145	01	
8	Eucalyptus	192	01	
9	Eucalyptus	235	01	
10	Eucalyptus	203	01	
11	/	/	/	
12	/	/	/	

M. K. Tiwari
(Manoj Tiwari)
For SEUPPTCL



(S. K. Singh)
Range Forest officer
क्षेत्रीय वन अधिकारी
घाटमपुर, कानपुर नगर

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बिधनू रेंज, किदवई नगर कानपुर

पत्रांक / 15 / 14-1

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,

साठवां प्रभाग,

कानपुर।

पत्रांक 15/07/2021
दिनांक 19/7/2021
साठवां प्रभाग, कानपुर

विषय: 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेशन लाइन सर्किट 1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित हो रही संरक्षित भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 4033 / 14-1 दिनांक 18.06.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेशन लाइन सर्किट 1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित हो रही संरक्षित भूमि का जो क्षेत्र बिधनू रेंज के अन्तर्गत है। मौके पर जाकर श्री अभिशेक मिश्रा व0विद ने एस0ई0यू0पी0टी0यू0 के कर्मचारी श्री मनोज तिवारी के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। उक्त स्थल में कुल 08 वृक्ष बाधक हैं। सभी 08 वृक्ष संरक्षित वन भूमि में खड़े हैं। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। बिन्दु सं० 01 से 06 में मांगी गयी सूचना रिक्त है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सर्वेक्षक/शिपि

प्रणीत
19/7/21

भवदीय

(एल0के0दुबे)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिधनू रेंज

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

Justification of Selected Route of the Transmission Lines

Out of many alternative routes, most suitable and techno-economically route has been selected considering the following parameters;

- 1.0 The selected route is so close in proximity of the bee- line as far as practicable.
- 2.0 Minimum loss of forest, endangered flora and fauna, rich orchard, nurseries etc.
- 3.0 Optimal no. of angle points by avoiding multiple crossings of the same transmission line, minimum no. of railway / power line / river / road / canal crossings.
- 4.0 Avoidance of waterlogged / marshy land, area with collapsible soil strata, densely populated areas, air funneling pathway of Defense Aerodrome / civil airport, religious monuments, heritage sites and other sensitive areas.
- 5.0 The distance between consecutive angle points is so kept in order to optimize no. of intermediate suspension towers.
- 6.0 All the River crossings have been carefully selected considering stability of soil strata at individual tower pile foundation location and after exploring possibility of crossing the river using DD type tower / with extra high extension +18/+25.
- 7.0 Accessibility of the transmission line towers along the route for maintenance point of view.

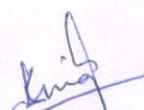
CS

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

List of transmission lines tabulated below for reference.

1. 765kv SC Mainpuri – Unnao Transmission Line	192 km	
2. 400kv DC Mainpuri – Aligarh Transmission Line	93 km	
3. LILO of both circuits of 400kv DC Orai – Mainpuri (PG) at Mainpuri Transmission Line	43.3 km	
4. 765kv S/C Mainpuri – Bara Transmission Line	362 km	
5. 765kv S/C Mainpuri – Bara Transmission Line	362 km	
6. LILO of 400kv Panki – Obra at 400kv Rewa Road Transmission Line	0.8 km	
7. 400kv DC Rewa Road – Karchhana Transmission Line	29.2 km	
8. 400kv DC Rewa Road – Meja Transmission Line	33.5 km	
9. 400kv DC Bara – Meja Transmission Line	29.2 km	
10. 400kv DC Bara – Karchhana) Transmission Line	39.5 km	
11. 400kv DC Tanda – Gonda Transmission Line	95 km	
12. 400kv DC Gonda – Shahjahanpur) Transmission Line	220 km	
13. LILO of 400kv Sarojininagar – Kursi Road at 400kv Sultanpur Road, Lucknow Transmission Line	6.5 km	
14. LILO of 400kv Obra – Sultanpur at 400kv Aurai Transmission Line	1.2 km	


(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021 (94) – 2017 के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर जनपद के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि 0.3456 हे० वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड वचनबद्ध है कि उक्त प्रस्तावित 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 के निर्माण में बाधक वृक्षों का कम से कम पातन किया जाएगा।


संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक – पारेषण
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक
343 /11--सी दिनांक 14.08.2020 के क्रम में दिए गए निर्देशों के प्रमाण पत्र.

जनपद कानपुर नगर में ,NH -86 कानपुर से हमीरपुर (राज्य मार्ग) तथा निचली गंगा नहर से 765kV
पारेषण लाइन, प्रयागराज बारा से मैनपुरी तक लाइन के निर्माण कार्य हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कानपुर नगर में प्रभावित 0.346 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कि प्रयोग के वन संरक्षण अधिनियम
1980 के अंतर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु ।

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली - भाँति परीक्षण कर लिया है ,तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम -1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है, विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिंदु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य छुपाये अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।


संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारेषण
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

क्षतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उनके अनुरक्षण और क्षतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में जो धनराशि देय होगी वह धनराशि साउथ ईस्ट यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.



(अरविन्द कुमार यादव)
अरविन्द कुमार यादव
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

लाभान्वित होने वाली आबादी से सम्बंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माणोपरांत परिक्षेत्र के मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर कौशाम्बी एवं इलाहाबाद (प्रयागराज) जनपद के आबादी को काफी बड़ी संख्या में विधुत का लाभ होगा एवं इसके अतिरिक्त समीपवर्ती जिलों की आबादी को विद्युत का लाभ काफी बड़ी संख्या में होगा।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015)

765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची

कानपुर नगर वन प्रभाग - कानपुर नगर

क्रम	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	(00-30) सेमी०	(31-60) सेमी०	(61-90) सेमी०	(91-120) सेमी०	(121-150) सेमी०	(>150) सेमी०
1	युकेलिप्टस	Eucalyptus globulus	0	0	0	0	1	9
2	नीम	Azadirachta indica	0	0	0	0	1	1
3	आम	Mangifera indica	0	0	0	1	3	1
4	महुआ	Madhuca longifolia	0	0	0	0	1	0
कुल			0	0	0	1	6	11
कुल पेड़ों की संख्या			18					



संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - परीक्षण

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या ७३१४/१४-०३-१९८०/८२ वन अनुभाग-३, दिनांक ३१-१२-१९८४ द्वारा निर्धारित मानक शर्तें -

१. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
२. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
३. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
४. भूमि का सयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं। (जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है)।
५. हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुवावजे का भुगतान सम्बन्धित विभाग को करना होगा।
६. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
७. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
८. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा। परन्तु प्रतिबंध यह होगा की वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जंतुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी। (लागू नहीं क्योंकि वन्य जंतु व बहुमूल्य वन सम्पदा का हस्तांतरण नहीं होना है)।



(S. K. Singh)
General Manager

९. सिचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

१०. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगी।

११. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर अलाइंगमेंट तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतिय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, भारतिय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या ६०८/सी/ दिनांक १० -०२-८२ में निहित आदेशों का पालन भी " भारतिय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नयी सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

१२. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

१३. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरप्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें, द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

१४. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय, जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, का भुगतान विभाग को करना होगा। १००० मीटर एवं ३० से अधिक टाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी



(S. K. Singh)
General Manager

प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक के स्तर पर ही हो सकेगा।

१५. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइनें ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उपवन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी, जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

१६. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।

१७. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

१८. वन भूमि वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर आश्वासन प्राप्त हो जाय।

मैं संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक साऊथ ईस्ट यू० पी० पी० टी० सी० एल० प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।



(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

CS


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

न्यूनतम वनभूमि प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में क्षेत्रफल 0.3456 हेक्टेयर में निर्माण कार्य में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों एवं पटरी वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, और मांगी गयी पटरी वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 केवी0
मैनपुरी बारा एकल पथ टान्समिशन लाइन सर्किट-1 के निर्माण में
प्रभावित वन भूमि की 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्दुरी/वन्य जीव
विहार नहीं है।

(राम कुमार)
वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित 765 के0वी0 एकल परिपथ मैनपुरी-बारा विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

18

412

अरविन्द कुमार यादव
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभारी पर्यावरण निदेशक
सामाजिक वानिकी व वन प्रभाग
कानपुर
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

पारेषण लाइन के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन सीमा के अन्तर्गत 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी-बारा (CKT - १)
ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

Net Present Value (N.P.V.) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली संरक्षित वन भूमि, 0.3456 हे० पटरी वनभूमि है, जो वन विभाग की अपनी जमीन है, की यदि आवश्यकता हुई तो Net Present Value (NPV) की धनराशि अदा करने हेतु वचनबद्ध है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड.

प्रतिहस्ताक्षरित


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) धनराशि की गणना

समाजिक प्रभाग कानपुर के अन्तर्गत प्रस्तावित 765 के0वी0 एकल पथ
मैनपुरी-बारा (सर्किट-1) पारेषण लाइन निर्माण हेतु एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0 में प्रभावित
संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है-

1. प्रभावित संरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल— 0.3456 हे0
2. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व— 0.4
3. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का— Eco Class-3
4. प्रभावित आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य— 0.3456X1228590

$$= 374228.514$$

$$\text{OR} = 374229.00$$

(रू0 तीन लाख चौहत्तर हजार दो सौ उन्नतिस मात्र)

भविष्य में यदि उक्त दरों में कोई परिवर्तन होता है, तो तदानुसार धनराशि
प्रयोक्ता अभिकरण को देय होगी।

(अरविन्द कुमार यादव)
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक प्रभाग की प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East, U.P. Power Transmission Co. Ltd.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र न होने के सम्बन्ध में

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित 765 के0वी0 एकल परिपथ मैनपुरी-बारा विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।

C)

Aii)

(अखिलेश कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी व वन प्रभाग
कानपुर


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

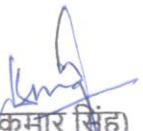
Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी -बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची

घाटमपुर रेंज - कानपुर नगर

क्रम सं०	नाम	संख्या	वर्तमान स्थिति
01.	युकेलिप्टस	10	हरा खड़ा


(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी -बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची

बिधनू रेंज - कानपुर नगर

क्रम सं०	नाम	संख्या	वर्तमान स्थिति
01.	नीम	02	हरा खड़ा
02.	आम	04	हरा खड़ा
03.	आम	01	सूखा खड़ा
04.	महुआ	01	हरा खड़ा

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

वन्य जीव अभ्यारण/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर/राष्ट्रीय
उद्यान/सेन्चुरी न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित 765 के0वी0 एकल परिपथ मैनपुरी-बारा विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि में कोई वन्य जीव अभ्यारण/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर/राष्ट्रीय उद्यान/सेन्चुरी नहीं हैं।


 (S. K. Singh)
 General Manager
 South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.


 (अनन्द कुमार यादव)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी व वन्य जीव विभाग
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 कानपुर

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	765 के 0वीं सिंगल सर्किट मैनुअली-बात : CK-1 पारेखन लाइन निर्माण हेतु मैनुअली, औरैया, कानपुर रेघट, कानपुर नगर, फतेहपुर, पृथगराज वन प्रभागों की कुल 10.2019 हे० वन भूमि के गैरवाणिज्यीय उपयोग की अनुमति है
	i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	: 3096
	ii) जिला	: कानपुर नगर
	iii) वन प्रभाग	: सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर नगर
	iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र	: 0.3456 हे०
	v) वन का कानूनी स्थिति	: संरक्षित वन
	vi) हरियाली का घनत्व	: 0.4
	vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किया जाये)	: कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
	viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	: नहीं
	ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	: प्रस्तावित पारेखन लाइन वन श्रेष्ठ के ऊपर से गुजरेगी।
	x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)	: नहीं
	xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	: नहीं
	xxi) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	: नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	: प्रस्तावित क्षेत्र अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया:- (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	: नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण का व्योरा	:
	i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	: -
	ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	: -

		वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि।	
	vi)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिध्यय	: -
	v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयेक्तता के बारे में प्रबन्धकी दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।	: -
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (x, xi) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न कर)	: सेल-1 है
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	: -
	i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	: -
	ii)	जिले का वन क्षेत्र	: -
	iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	: -
	vi)	1980 से जिला/प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	: -
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण	: -
		(ख) वनेत्तर भूमि पटन	: -
	v)	तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	: -
		(क) वनभूमि	: -
		(ख) ऊसर भूमि पर	: -
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	: प्रस्ताव को स्वीकृत किया जायेगी संरक्षक की जाती है।


 (अरविन्द कुमार यादव)
 प्रभागीय निवेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 काजपुर

FP/UP/TRANS/15538/2015

प्रस्ताव की संस्तुति हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (सर्किट-1) पारेषण लाइन निर्माण हेतु कानपुर जनपद के अंतर्गत प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है।



CS
Shiv
अरविन्द कुमार यादव
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागिय निदेशक
सांसाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा 765 के0वी0 एकल परिपथ मैनपुरी-बारा विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें प्रभावित संरक्षित वन भूमि स्थल का संयुक्त निरीक्षण साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के प्रतिनिधि के साथ दिनांक 23.8.2022 को किया गया। परियोजना में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 है। इस भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित भूमि की मांग न्यूनतम है।


 (S. K. Singh)
 General Manager
 South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.


 अशु कुमार सिन्हा
 प्रभारणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 कानपुर

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2012

विषय- पी0पी0पी0 ट्रांसमिशन पैकेज-1 के लिए ऊर्जा अधिनियम, 2003 की धारा-68 के अधीन अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 270/ई0एस0डी0-वि0-765 के0वी0/पी0पी0पी0/4/आइसोलक्स/वाल-1, दिनांक 27 फरवरी, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 765 के0वी0 एकलपथ मैनपुरी बारा लाइन सहित 765 केवी/400 केवी उपकेन्द्र मैनपुरी तथा उससे संबंधित स्कीम्स/कार्यो (पीपीपी पैकेज-1), जिनका विवरण निम्नलिखित है, को सम्पादित करने के लिए मेसर्स साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-68 की उपधारा-1 के अधीन अधिकृत किया जाता है:-

Package-1: Transmission System for 765kV S/C Mainpuri-Bara Line with 765kV/ 400kV AIS at Mainpuri and Associated Schemes/ Work

Sr. No

(I) Transmission Lines:

- 1) 765kV SC Mainpuri - Unnao with Quad Bersimis (175Kms)
- 2) 400kV DC (Quad Moose) Mainpuri (765kV) - Aligarh (120kms)
- 3) LILO of both circuits of 400kV DC Orai - Mainpuri (PG) at Mainpuri (765kV) with Twin Moose (30Kms)
- 4) 765kV 2x SC Mainpuri - Bara with Quad Bersimis (2x350kms)
- 5) LILO of 400kV Panki - Orai at 400kV Rewa Road with Twin Moose (12 kms)
- 6) 400kV DC (Quad Moose) Rewa Road - Karchhana (30kms)
- 7) 400kV DC (Quad Moose) Rewa Road - Meja (25kms)
- 8) 400kV DC (Quad Moose) Bara - Meja (25kms)
- 9) 400kV DC (Quad Moose) Bara - Karchhana (30kms)
- 10) 400kV DC (Quad Moose) Tanda - Gonda (100kms)
- 11) 400kV DC (Quad Moose) Gonda - Shahjahanpur (230kms)
- 12) LILO of 400kV Sarojininagar - Kursi Road (PG) at 400kV Sultanpur Rd. Lucknow with Twin Moose (20kms)
- 13) LILO of 400kV Orai - Sultanpur at 400kV Aurai with Twin Moose (15kms)


(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

(II) Sub-Stations :

- 1) 2x1000MVA (765/400kV) AIS at Mainpuri
- 2) 2x315MVA (400/220kV) GIS at Rewa Road
- 3) 2x315MVA (400/220kV), 2x100MVA (220/132kV) AIS at Gonda
- 4) 2x500MVA (400/220kV), 2x160MVA, (220/132kV) GIS at Sultanpur Road, Lucknow
- 5) 2x315MVA (400/220kV), 2x160MVA (220/132kV) AIS at Aurai

COD of the Project : 30 months from the date of award of work
Date of award of work : 05.07.2011

- 2- उक्त के सम्बंध में:-
- (अ) विद्युत अधिनियम, 2003, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, के नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ब) ओवर हेड लाइनो के सम्बंध में भारतीय विद्युत नियमावली 1956, जब तक कि वह विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बताये गये नियमों से प्रतिस्थापित न कर दी जाय, के द्वारा अधिष्ठापित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भी होगा:-
- (1) कार्यदायी संस्था मे 0 साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा टी0एस0ए0 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा और परियोजना का निर्माण कार्य, यदि शासन द्वारा समयावधि में वृद्धि न कर दी जाय, कार्य आवंटन की तिथि से 30 माह अर्थात् दिनांक 04-01-2014, तक पूरा किया जायेगा।
- (2) शासन द्वारा उक्त 30 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व एक माह की नोटिस देकर उक्त अनुमोदन/अनुमति वापस लिया जा सकता है।
- (3) कार्यदायी संस्था मे 0 साउथ ईस्ट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार गजट आफ इण्डिया, एक्सट्रा, भाग-11, सेक्शन-3 (i) दिनांक 18.04.2006 (जी0एस0आर0 217 (ई) दिनांक 18.04.2006) द्वारा नोटिफाईड लाइसेन्सी रूल्स, 2006 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार गुप्ता)
 प्रमुख सचिव।

संख्या- 359 (1)/24-ऊनिनिप्र/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, शालिमार टाईटेनियम 601-602, छठवाँ तल, प्लॉट नं0-टी0सी0/जी0-1/1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मो0 मारुफ)
 अनु सचिव।

(S. K. Singh)
 General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF/ DFO.

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from South Est U.P. Power Transmission Co.Ltd (under FCA-1980) of **0.3456 hac.** Of Protected Forest Land for Non-forestry purpose. The project envisages the use of Protected Forest land for Construction of 765 KV S/C Mainpuri – Bara Transmission Line District Kanpur Nagar. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **23-08-22**.

User agency had proposed the alignment that involves forest area measuring 0.3456 hac. & 19 Nos. trees are affected.

Since the proposed alignment requires **0.3456 Ha. Protected Forest Land** and requires removal of **19 (Nineteen)** number of trees.

Proposed Alignment is recommended.

1 On inspection of the site, it is found that the forest land required by the user agency measuring 0.3456 ha. Stated in column 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

2 Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna is found in the area: **No rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area.**

3 Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area:

No protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

4 (a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. (Yes)

(b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter-1, Part-C of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached. (No)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The proposal is recommended for approval.

Date:- **23-08-22**

Place:-kanpur


 (Anil Kumar Yadav) IFS
 Social Forestry Division
 Kanpur Nagar
 सामाजिक वन प्रभाग
 (कानपुर)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कि निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ बारा - मैनपुरी सर्किट -1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा - निर्देशों का पालन करेगी।


(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कं० लि०
लखनऊ


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

TRANSMISSION LICENSE, 2013 UNDER ELECTRICITY ACT- 2003
TO
SOUTH EAST U P POWER TRANSMISSION COMPANY LTD. (SEUPPTCL)

(License no.1 of 2013)

1. The Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "the Commission"), in exercise of the powers under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Act"), hereby confers this license upon SOUTH EAST U P Power Transmission Company Ltd. (hereinafter referred to as 'SEUPPTCL' or 'the licensee'), a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Shalimar Titanium, 601 – 602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 to undertake the business of build, own, operate, maintain and transfer (Boot) basis of the transmission system given at Annexure-1.

2. This License may be called "The SOUTH EAST U P Power Transmission Company Ltd. (SEUPPTCL) Transmission License, 2013 (License no.1 of 2013)".

3. (a) The transmission license shall, unless revoked earlier, remain in force for a period of 25 years; with effect from date of issue of this license.

(b) If the useful life of the transmission system extends beyond this license period of 25 years, SEUPPTCL may make an application two years prior to expiry of the initial period of license for grant of license for a further period of 10 years, which shall be considered by the Commission in accordance with the then prevailing laws;

4. SEUPPTCL shall remain bound by the provisions of the Act, the rules and regulations framed there under, in particular the transmission license regulations, Indian Electricity Grid Code, UP Electricity Grid Code, the Standards specified by the Central Electricity Authority and the orders & directions of the Commission issued from time to time.

5. SEUPPTCL, as Transmission Licensee, shall carry out the responsibilities conferred upon it, in particular but not limited to, under UP Electricity Grid Code, UPERC (Terms & Conditions for Open Access) Regulations, 2004, UPERC (Grant of connectivity to Intra State Transmission System) Regulations, 2010 including their amendments and modifications as and when carried out. SEUPPTCL shall provide non-discriminatory open access to its transmission system for use by any other licensee, including a distribution licensee or an electricity trader, or generating company or any other person in accordance with the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Open Access in intra- State Transmission) Regulations, as amended from time to time

6. The licensee shall comply with the directions of the Regional Load Dispatch Centre under sub-section (3) of section 28 or subsection (1) of section 29 of the Act and the directions of the State Load Dispatch Centre under sub-section (2) of section 32 or subsection (1) of section 33 of the Act, as may be issued from time to time for maintaining the availability of the transmission system;



(S. K. Singh)
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

[Signature]

(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Board

99

7. The Transmission Service Agreement (TSA) entered into between the licensee and long term transmission customers shall be honored by the parties involved in the TSA,

8. The applicant shall not enter into contract or otherwise engage in the business of trading in electricity during the period of subsistence of the transmission license;

9. The applicant shall not undertake any other business for optimum utilization of the transmission system without prior intimation to the Commission.

10. Unless otherwise specified by the Commission, the licensee shall pay an annual license fee in accordance with UPERC(Fee & Fine) Regulations, 2010 and amendments / re-enactments made thereof. The license fee for a part of the year shall be paid on pro-rata basis. The year for the purpose of this clause shall mean a financial year i.e. a period of twelve months from 1st April of a year to 31st March of the following year.

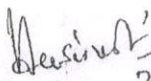
11. The licensee may lay down or place electric supply lines and other installations subject to provisions of section 67 to 69 and 159 to 161 of the Electricity Act, 2003.

12. The licensee shall ensure adherence with the requirement laid down under section 164 of Electricity Act, 2003.

13. The license may be revoked subject to section 19 of Electricity Act, 2003 at any time during its period of operation as specified in Electricity Act, 2003.

Dated: 29 April, 2013

Place: Lucknow


Secretary 29/4/13



(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Regulatory Commission
Lucknow

Page 2 of 3


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

Annexure-1

Transmission Project Elements

	765 kV S/C Transmission Lines (Kms) (approx.)
(i)	765 kV SC Mainpuri-Bara with Quad Bersimis – 362 Kms;
(ii)	765 kV SC Mainpuri-Bara with Quad Bersimis – 362 Kms;
(iii)	765 kV SC Mainpuri-Unnao with Quad Bersimis – 192 Kms;
	400 kV D/C (Quad Moose) Transmission Lines (Kms) (approx.)
(iv)	400 kV DC (Quad Moose) Mainpuri(765kV)-Aligarh – 93 Kms;
(v)	400 kV DC (Quad Moose) Gonda-Shahjahanpur – 220 Kms;
(vi)	400 kV DC (Quad Moose) Tanda-Gonda – 95 Kms;
(vii)	400 kV DC (Quad Moose) Rewa Road-Karchhana – 29.2 Kms;
(viii)	400 kV DC (Quad Moose) Rewa Road-Meja – 33.5 Kms;
(ix)	400 kV DC (Quad Moose) Bara-Meja – 29.2 Kms;
(x)	400 kV DC (Quad Moose) Bara- Karchhna – 39.5 Kms;
	400 kV D/C (Twin Moose) LILO Transmission Lines (Kms) (approx.)
(xi)	(a) LILO of both circuits of 400 kV DC Orai-Mainpuri (PG) at Mainpuri (765kV) with Twin Moose – 43.3 Kms;
	(b) LILO of 400 kV Sarojininagar-Kursi Road (PG) at 400 kV Sultanpur Road with Twin Moose – 6.5 Kms;
	(c) LILO of 400 kV Panki-Obra at 400 kV Rewa Road with Twin Moose – 0.8 Kms;
	(d) LILO of 400 kV Obra-Sultanpur at 400 kV Aurai with Twin Moose – 1.2 Kms.
	EHV Substation Bays
(i)	765/400 kV Mainpuri (AIS) – 2X1000 MVA, 765/400 kV;
(ii)	400/220 kV Rewa Road (GIS) – 2X315 MVA, 400/220 kV;
(iii)	400/220/132 kV Gonda (AIS) – 2X315 MVA, 400/220 kV, 2X100 MVA, 220/132 kV;
(iv)	400/220/132 kV Sultanpur Road, Lucknow (GIS) – 2X500 MVA, 400/220 kV, 2X160 MVA, 220/132 kV;
(v)	400/220/132 kV Aurai (AIS) – 2X315 MVA, 400/220 kV, 2X160 MVA, 220/132 kV.



Dec
22/4/13

(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Regulatory Commission
Lucknow

Page 3 of 3

(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

वन स्वरुप चिन्हित क्षेत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित 765 के0वी0 एकल परिपथ मैनपुरी-बारा विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन स्वरुप के रुप में चिन्हित भूमि शामिल नहीं है।

Shiv
अरविन्द कुमार यादव)
प्रभारी निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

K. Singh
(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 केवी0 मैनपुरी बारा
एकल पथ टान्समिशन लाइन सर्किट-1 के निर्माण में प्रभावित संरक्षित
वन भूमि के अतिरिक्त वन स्वरूप भूमि शामिल नहीं है।

(राम कुमार)
वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

संस्तुति प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित 765 केवी0 मैनपुरी बारा एकल पथ टान्समिशन लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.346 हे0 के हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृत प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

(राम कुमार)
वन संरक्षक / प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

वन विभाग से भिन्न स्वामित्व वाले विभाग से सम्बन्धित स्वामित्व प्रमाण पत्र के संबंध में याचक विभाग का शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 kV एकल पथ मैनपुरी-बारा (CKT -1) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में विद्युत लाइन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत केवल आकाश मार्ग से विद्युत के तार गुजरेंगे एवं भूमि जैसे नहर, रोड आदि क्रासिंग पर उनके स्वामित्व वाली भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। चूंकि भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है अतः स्वामित्व वाले विभागों से अनापत्ति पत्र की मांग की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

BY REGD. SPEED POST

AAI/NOC/2013/111/5614-5618

Date: 023-04-2014

28

M/s South East U.P. Power Transmission Company Ltd.
Shalimar Titanium, 601-602, 3rd Floor,
Plot No TC/G-1/1, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Uttar Pradesh

SUBJECT: NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order SO84 (E) dated 14th Jan. 2010 for safe and Regular Aircraft Operations.

1. References: Letter No. SEUPPTCL/AAI/2013-14/668 dated 26-12-2013
2. NOC Details for Height Clearance: Proposed Constrn. Of 400KV D/C Bara- Meja Transmission Line By South East U.P. Power Transmission Company Ltd herein after referred to as the applicant(s) at location a) 400 KV D/C Bara- Meja Line Annexure-I, (Page-1), b) 765 KV S/C Mainpuri-Bara Line 1& 2 in Annexure-II, (Page 1 to 4), c) 400 KV D/C Rewa Road- Meja Line Annexure-III (Page 1 to 4) for a height as detailed above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed above mean sea level.
3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:
 - (A) The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant, this NOC will be invalid.
 - (B) The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of obstruction caused by buildings and trees etc.) Rules, 1994.
 - (C) No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation indicated in attached a) Annexure-I (Page 1), b) Annexure-II (Page 1 to 4), c) Annexure-III (Page 1 to 4)
 - (D) The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
 - (E) The certificate is valid for a period of 7 Years from the date of issue. If the building/structure/Chimney is not constructed & completed within the period, the applicant will be required to obtain a fresh 'NOC' from the Designated Officer of Airports Authority of India. The date of completion of Building/structure/chimney/Tower(s) should be intimated to this office of AAI. Request for revalidation of NOC will not be entertained after the expiry of its validity period.

EPM/DOA/LT/L
9/11/14

(S. K. Singh)
General Manager

क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र, प्रबन्धन कार्यालय, गुरुगांव रोड, नई दिल्ली-110037 दूरभाष : 25652447 टैक्स : 25656451
Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037 Tele.: 25652447 Fax : 25656451

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

- (F) No Light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building.
- (G) The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- (H) Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'E' Part-I Section 4 available on DGCA India website : www.dgca.nic.in
- (I) The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans as this NOC for height is for the purpose of 'to ensure the safe and regular aircraft operations' and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- (J) This NOC has been issued w. r. t. the Civil Airport as notified in SO 84(E). Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport.

This certificate is issued for "HEIGHT CLEARANCE ONLY" with the approval of Competent Authority for Permissible Top Elevation indicated in attached Annexure-I (Page 1), Annexure-II (Page 1 to 4), Annexure -III (Page 1 to 4)

(G.S BHURIA)


Jt. General Manager (NOC)
For General Manager (ATM), NR

Encls: As above.

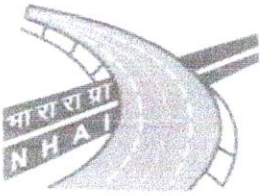
Copy to :

1. The Executive Director (ATM), Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi.
2. The General Manager (Carto & NOC), AAI, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N Delhi- 110003
3. Guard File
4. Lucknow Development Authority, Navin Bhawan, Vipin Khod, Lucknow.

CS


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वार्ता
कानपुर


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways Govt. of India)

परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit

53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021
53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021

दूरभाष / Phone (0512) 2630154
फैक्स / Fax (0512) 2630214
ई-मेल / e-mail knp@nhai.org

16015/NHA/PIU/KNP/NH-2/ 33274

31.03.2016

To
Shri R.L. Singh
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.,
1, Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor,
Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010.

Sub : Proposal of overhead crossing of 765 KV S/C Mainpuri – Bara Circuit 1 & 2 of NH-86 between at Chainge 25.00 – 26.00 near Village – Chatta Purwa proposed by South East U.P. Power Transmission Company Ltd., Mainpuri – Bara Transmission Line Package – 1A & 2A.

Ref : 1. Your letter No.1842 dated 14.01.2016.
2. RO Notesheet No. 14011/31/RO/LKO/2016/37918 dated 10.03.2016
3. RO Notesheet No. 14011/31/RO/LKO/2016/37919 dated 10.03.2016

Sir,

With reference to above cited subject, the Competent Authority RO, Lucknow has accorded the permission to M/s SEUPPTCL for passing overhead 765 KV S/C Mainpuri – Bara Transmission line between km. 25 to km. 26 on NH-86 section subject to the following conditions:

1. M/s SEUPPTCL should be given undertakings on non judicial stamp paper "To pay necessary fee for use of NH land whenever fee is asked by Highway Authority in future."
2. To relocate overhead line at their own cost notwithstanding the permission granted within such time as will be stipulated by NHAI for future six laning or other development.
3. Certified that no other structure will be erected nor other service rendered within the ROW of NH without prior permission of NHAI.
4. M/s SEUPPTCL 765 KV S/C Mainpuri – Bara Transmission line in the State U.P will own responsibility for any mis-happening during execution of work at site/ crossing.
5. Undertaking for necessary alteration including complete removal/ shifting of transmission line at their own cost, if so required by the NHAI/ Ministry for the development of NH or in the interest of safety in the above section.
6. If any deviation is found at any stage in compliance to the agreed terms & conditions, the NOC granted shall be treated as null void.
7. M/s SEUPPTCL 765 KV S/C Mainpuri – Bara Transmission Line in the State of U.P be responsible for all kinds liabilities arise during or after execution of work.
8. The applicant shall shift/ modify on its own cost within a prescribed time period fixed by NHAI in case of widening/ construction of the elevated structure at the location, or any other requirement.
9. The work should be executed under Supervision of NHAI/IC's of NHAI.
10. The licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
11. Grant of license is subject to the licensee satisfying (a) minimum disruption of the traffic and (b) no damage to the highways.

Contd...2

(S. K. Singh)
General Manager

मुख्यालय : जी-5 और जी-6, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

Head Office : G-5 & G-6 Sector 10 Dwarka, New Delhi - 110075

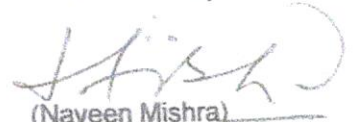
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

: 2 :

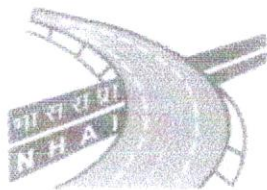
12. Before start of work at site, the permission agreement on stamp of Rs. 100/- may be executed with the agency & NHAI and ensure completion of work in agreed time limit for which work programme may be submitted to this office in consultation with IC's staff of NHAI.

Please ensure compliance of above terms & conditions before commissioning of line so that final NOC may be issued.

Yours faithfully,


(Naveen Mishra)
Project Director


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit

53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021
53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021

दूरभाष / Phone : (0512) 2630154
फैक्स / Fax : (0512) 2630214
ई-मेल / e-mail : knp@nhai.org

13120/NHA/PIU/KNP/NH-2/IIA/25770

30.07.2013

To
Shri R.L. Singh
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co., Ltd.,
1, Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor,
Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow - 226010.

Sub: Proposal for approval of construction of EHV 765 KV S/C Mainpuri - Bara Transmission line on NH-2 at km. 436.641 & km. 436.580 proposed by M/s South East UP Power Transmission Co., Ltd.-reg.

Ref : RO. Notesheet No. 14011/13/RO/LKO/2013/17669 dated 15/16.07.2013.

Dear Sir,

With reference to above cited subject, the Competent Authority/ RO has accorded the permission to M/s South East UP Power Transmission Co., Ltd., for construction of EHV 765 KV S/C Mainpuri - Bara Transmission Line on NH-2 at km. 436.641 and km. 436.580 proposed by M/s South East UP Power Transmission Co., Ltd., subject to the following conditions:-

1. If any deviation in proposal of M/s Power Grid Corporation of India Ltd., the NOC granted shall be treated as null and void.
2. M/s SEUPTCL shall be responsible for all kinds of liabilities arise during or after execution of work.
3. Before execution of work at site, the prescribed agreement (copy enclosed) may be executed with the agency and ensure completion of work in agreed time limit.
4. The work should be executed in consultation with NHA/ Supervision Consultants of NHA.
5. An undertaking is required to be submitted on non judicial stamp paper before starting the work:
 - (a) to pay necessary fee for the use of NH and whenever fee is asked by highway authority in future.
 - (b) to relocate overhead line at their own cost notwithstanding the permission granted within such time as will be stipulated by NHA for future six laning and other development.
 - (c) certificate that no other structure will be erected nor other service rendered within the ROW of NH-2 without prior permission of NHA.
 - (d) SEUPTCL will take own responsibility due to any mis-happening during execution of work at site/ crossing.
 - (e) Ensure that all safety measures to be taken during execution of work at site/ crossing.
 - (f) Undertaking for necessary alteration including complete removal/ shifting of Transmission line tower at SEUPTCL cost, if so required by the Ministry, for the development of NH or in the interest of safety in the above section.

Contd.....2

(S. K. Singh)
General Manager

मुख्यालय : जी-5 और जी-6, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

Head Office : G5 & G6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075

Web Site : www.nhai.org

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

: 2 :

(g) Undertaking for no other structure will be erected nor any other service rendered within the ROW of NH without prior permission of NHAI.

Encl : As above.

Yours faithfully


(Naveen Mishra)
Project Director


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit

784, विष्णु नगर, सत्यम हॉस्पिटल के सामने, रायबरेली-229001 (उ.प्र.)

784, Vishnu Nagar, Opposite Satyam Hospital, Raebareilly - 229001 (U.P.)

दूरभाष / Phone : +91-535 2702526

टेलीफैक्स / Fax : +91-535-2702527

ईमेल / E-mail : pdpiuraebareilly@nhai.org
pdpiuraebareilly@gmail.com

13026/1/PIU-RBLY/NH-232/2015/ NOC/ 9119

Date: 02.06.2016

To

General Manager,

M/s South East UP Power Transmission Co. Ltd.

6th Floor Shalimar Titanium Building

(Opposite Indra Gandhi Pratishthan)

Vibuti Khand Gomti Nagar, Lucknow (U.P.)

Sub:

i) Application for issuing "No Objection Certificate" (NOC) for pass over of EHV 765 KV S/C Mainpuri – Bara transmission line (Circuit 1 and Circuit 2) by separate overhead crossing) at chainage 227.990 of NH-232 (New NH-335) Raebareilly – Banda Section.

ii) Application for issuing "No Objection Certificate" (NOC) for pass over of EHV 765 KV S/C Mainpuri – Bara transmission line (Circuit 1 and Circuit 2 by separate overhead crossing) at chainage 261.40 of NH-232 (New NH-335) Raebareilly – Banda Section.

Ref:

i) Your letter no. SEUPPTCL/NHAI/2015-16/ 1475 dated 17.06.2015

ii) RO letter no. 39262 dated 20.05.2016

iii) RO letter no. 38850 dated 07.05.2016

Sir,

With reference to the above cited subject, please refer your letter dated 17.06.2015 mentioned above vide which you have submitted a proposal for NOC for Construction of EHV transmission lines on NH-232 (New NH-335) of Raebareilly-Banda Section.

In this regard, it is intimated that the Competent Authority has accorded the permission to road crossing of NH-232 Raebareilly-Banda section at chainage 227.990 & 261.40 by 765 KV S/C between Mainpuri – Bara transmission lines (Circuit 1 and Circuit 2 by separate overhead crossing) in the State of Uttar Pradesh with certain terms and conditions. Accordingly following undertaking are required to be submitted.

- To pay necessary fee for the use of NH land whenever fee is asked by highway authority in future.
- To relocate overhead line at their own cost not with standing the permission granted within such time as will be stipulated by NHAI for future six laning or other development.
- Certificate that no other structure will be erected nor other service rendered within the ROW of NH without prior permission of NHAI.
- PGCIL 765 KV S/C between Mainpuri – Bara transmission lines (Circuit 1 and Circuit 2) by separate overhead crossing) in the state of UP. will own responsibility for any mis-happening during execution of work at site /crossing.

(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd

- e) Undertaking for necessary alteration including complete removal/shifting of Transmission line Tower at their own cost, if so required by the NHAI/Ministry, for the development of NH or in the interest of safety in the above section.
- f) If any deviation is found at any stage in compliance to the agreed terms & conditions, the NOC granted shall be treated as null and void.
- g) PGCIL 765 KV S/C between Mainpuri – Bara transmission lines (Circuit 1 and Circuit 2) in the state of UP be responsible for all kinds liabilities arise during or after execution of work.
- h) The applicant shall shift/modify on its own cost within a prescribed time period fixed by NHAI in case of widening /construction of elevated structure at the location, or any other requirement.
- i) Before start of work at site, the permission agreement on stamp of Rs 100/- may be executed with the agency and ensure completion of work in agreed time limit for which work programme may be submitted for approval.
- j) The work should be executed under supervision of NHAI.
- k) Prevalent license agreement with the NHAI should be executed.
- l) The Licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
- m) Grant of license is subject to the licensee satisfying (a) minimum disruption of traffic and (b) no damage to the highways.

It is therefore requested to take further necessary action in this regard as per terms and conditions stipulated in the approval of Regional Officer, Lucknow (Copy of approval is enclosed).

Encl: As above.

Copy to:

- Regional Officer, NHAI, Lucknow for information, please.

(C.M. Dwivedi)
Project Director

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी व वन प्रभाग
कानपुर

(S.K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।

पत्रांक:
सेवा में,

305/NH76/35

दिनांक: 14-03-2016

जनरल मैनेजर
साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0,
शालिमार टाइटैनियम, 601-602, छठा तल,
प्लॉट नं0- टी0सी0/जी-1/1, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010

विषय:- राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 76/35 (झांसी-इलाहाबाद मार्ग) के कि0मी0 365 (चैनेज 364.889) एवं कि0मी0 366 (चैनेज 365.082) साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा 765 के0वी0 एस0/सी0 मैनपुरी-बारा ट्रान्समिशन लाइन डालने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्र संख्या- एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0/ एन0एच0ए0आई-पी0डब्ल्यू0डी0/2015-16/1478 दिनांक 19-08-2015 एवं मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र संख्या- 212एन0एच0/643एन0/07 दिनांक 15-02-2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 76/35 (झांसी-इलाहाबाद मार्ग) के कि0मी0 365 (चैनेज 364.889) एवं कि0मी0 366 (चैनेज 365.082) में आपके द्वारा 765 के0वी0 एस0/सी0 मैनपुरी-बारा ट्रान्समिशन लाइन की ओवरहेड कांसिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी। उपरोक्त के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 212एन0एच0/643एन0/07 दिनांक 15-02-2016 द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ ओवरहेड कांसिंग हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

1. उपरोक्त ट्रान्समिशन लाइन हेतु आई0आर0सी0-32-1969, मंत्रालय के सर्कुलर सं0- एन0एच0-111/पी/20/77 दिनांक 08-04-1982 एवं मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों तथा पावर ग्रिड स्पेशिफिकेशन फॉर 765 के0वी0 ट्रान्समिशन लाइन में निहित प्राविधानों का पूर्णतः पालन किया जाय।
2. पावर ट्रान्समिशन लाइन खींचते समय यातायात सुरक्षा हेतु किसी प्रकार की शिथिलता के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 का होगा। यातायात के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो।
3. मार्ग के मध्य से दोनो ओर स्पान का निर्माण एवं मार्ग की सतह से ट्रान्समिशन लाइन के न्यूनतम कन्डक्टर के मध्य की दूरी (आवश्यक वर्टिकल एवं हॉरिजेन्टल क्लियरेंसेज) मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार ही रखी जाये।
4. राष्ट्रीय मार्ग के इस भाग में विभाग द्वारा भविष्य में कोई कार्य कराया जायेगा तो विभाग द्वारा नोटिस जारी किये जाने के 21 दिन के अन्दर साउथ-ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा अपने व्यय पर हटाना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
5. मंत्रालय की विशिष्टियों का अनुपालन न किये जाने पर यह अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक:- मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ
का संदर्भित पत्र।

अधिशासी अभियन्ता

रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0

इलाहाबाद।

दिनांक:

पत्रांक:

1. प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, 18वां वृत्त (रा0मा0), लो0नि0वि0, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि- अवर अभियन्ता (प्राविधिक) रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

रा0मा0 खण्ड-1, लो0नि0वि0

इलाहाबाद।

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

कानपुर

(S. K. Singh)

General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.



भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
भार प्रेषण एवं दूर संचार प्रभाग
Load Despatch & Telecommunication Division
एन.आर.पी.सी. परिसर,
18-ए, शहीद जीत सिंह सनसनवाल मार्ग, कटवारिया सराय
NRPC Complex, 18-A, Shaheed Jeet Singh S. Marg,
Katwaria Sarai,
नई दिल्ली-110016 New Delhi - 110 016

72
टेलीफैक्स सं. 011-
26859952; 9899061449



[आई.एस.ओ. 9001:2008]

No. CEA/LD & T/PTCC/UP - 414 & 415 / 566 - 568

Date: 01.07.2014

डिवीजनल अभियंता (टी),
पी.टी.सी.सी. उत्तरी क्षेत्र,
भारत संचार निगम लिमिटेड,
चतुर्थ तल, कमरा नं:469, किदवई भवन,
जनपथ, नई दिल्ली - 110 001.

Subject: PTCC route approval of 765 KV S/C Mainpuri - Bara Ckt I & II T/Line

Ref. : (i) DET (PTCC), BSNL, New Delhi, Letter No. PTCC (T)DV-8878-79 / UP-595-96 / 2013-14 DATED 21-06-2013
(ii) GM, S&T, North Central Railway, Allahabad, Letter no. S&T / NCR / PTCC dated 18.11.2013

Sir,

We have examined the above cited case for low frequency induction on Telecommunication / Railways circuits as per details furnished vide your letter under reference. The Average Soil Resistivity value has been taken as 50000 Ohms-cm as intimated by the power authorities. Voltages likely to be induced on paralleling Telecommunication / Railways circuits under single line to ground fault condition are mentioned in the enclosed Annexure-I & II. The screening factor as 0.95 for ground wire and 0.8 for rail have been considered for calculation of mutual coupling. It is also mentioned that the screening factor as applicable for cables has been multiplied for arriving at resultant induced voltage

You are requested to take further necessary action regarding issue of PTCC route approval for the said transmission line at the earliest.

Encl: As above

भवदीय,

o/c

Handwritten signature

(नरेश भंडारी)

निदेशक (पी.टी.सी.सी.)

Copy for information & n. a. pl. to:

- 1 General Manager, SEUPPTCL, Shalimar Titanium, 601-602, 6th floor Plot no. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
- 2 The General Manager, S. & T., North Central Railway, HQ (S&T Dept.), Ganga Complex, Subedarganj, Allahabad - 211033

जारी किया
03/07/2014

OS

Handwritten signature
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक दायित्व वन प्रभाग
रकनपुर

Handwritten signature
(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

67

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक-1278/511
सेवा में,

दिनांक-08/12/15

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-I Guard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP34-35 at ch. 102.771 of NH-91A (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-91ए (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 103 (चैनेज-102.771) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 22.22मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-

पत्रांक-1278/511
सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

पत्रांक-1275/5 जी
सेवा में,

दिनांक- ०८/१२/०१५

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय-NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-92 (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 26 (चैनेज-25.017) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.63मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

दिनांक-

प्राप्ति एवं प्रेषण लिपिक
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो०नि० वि०
कानपुर

सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्ल्यू/मैनपुरी- बारा/ट्रैक कासिंग/896
दिनांक: 2/02/16

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

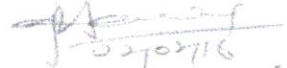
प्रबन्धक निदेशक,
उ.प्र.पा.ट्रांस.लिमि.,
शक्ति भवन,, शालीमार टाइटानियम, 601-602,
छठा तल प्लॉट नं. टी.सी./8 जी०-1/1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय- Proposal of 765 KV S/C Mainpuri ETW OHE Transmission line to
Rly. Track between MNQ-ETW Section .

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SEUPPTCL/DRM/2014-15/896 dt.31.5.14.

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु आपको अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान नं० 356/2014 के अनुसार ADEN/ETW के देखरेख कार्य सम्पन्न कराना होगा। रिकार्ड हेतु प्लान एवं एग्रीमेंट संलग्न है।

संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./इटावा को प्लान सं. 356/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को प्लान के अनुसार सम्पन्न करायें। (संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)

2) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

3) वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजी० /टी०आर०डी०/उ०म०रे०/इला० को प्लान सं० 356/2014 सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।


वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

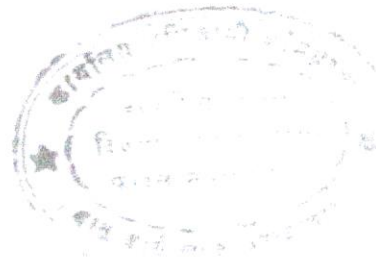

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
बाढ़ कार्य खण्ड, इलाहाबाद।

सेवा में,

General Manager,
South East U.P. Power
Transmission company Limited
Shalimar Titanium, 601-602,
6th Floor, Plot No. TC/G-1/1,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010



पत्रांक:- 4403 /बाकाखंड/NOC.(परि)/दिनांक:इलाहाबाद:नवम्बर -2/-2015

विषय:- Intimation for River/Canal Crossing by over head Power lines.

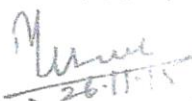
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक:SEUPPTCL/River/Canal/2014-15/1292 Date: 07.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कार्य करें। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिखाई जा रही Transmission line ड्राइंग के अनुसार H.F.L. से लगभग 20मीटर की ऊँचाई पर है एवं नदी के मध्य में एक पिलर का निर्माण किया जाना है।

अतः उक्त पिलर के निर्माण किये जाने हेतु कम्पनी को इस शर्त के अनुसार NOC प्रदान की जाती है कि पिलर के निर्माण से निकलने वाली मिट्टी/मलबा का डिस्पोजल आप द्वारा दिये गये पत्र के अनुसार लगभग 750मीटर से अधिक की दूरी पर किया जायेगा तथा इस लाइन के निर्माण से जलमार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)

पृष्ठकन- /बाकाखंड/NOC.(परि)/दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, बाढ़ कार्य खण्ड, इलाहाबाद को उनके पत्रांक: 152/स0अ0-4/NOC/दिनांक: 20.11.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता


(S.K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.